ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

23

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-2023)

तेइसवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

तेइसवाँ प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021 -2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022 -2023)

16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

16.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / फाल्गुन , 1943 (शक)

सीआरडी सं. 177

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- द्वारा मुद्रित ।

विषयसूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (iii)

प्राक्कथन (v)

प्रतिवेदन

भाग-एक

व्याख्यात्मक भाग

एक.

(क) प्रस्तावना 1

(ख) भूमि संसाधन विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) की संक्षिप्त जानकारी 1

दो. समग्र विश्लेषण

(क) समग्र विवरण 3

(ख) बजट और वास्तविक व्यय का ट्रेंड 4

(ग) योजनावार विवरण 4

तीन. योजनावार विश्लेषण

अ. <u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)</u>

(क) पृष्ठभूमि 7

(ख) आवंटित और जारी की गयी निधि 7

(ग) अव्ययित शेष धनराशि 8

(i) वित्तीय प्रगति : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 10

(ii) भौतिक प्रगति : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 11

(iii) वर्तमान स्थिति: डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 12

(घ) चुनौतियाँ 13

(ङ) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई -2.0 के तहत दृष्टिकोण में बदलाव 15

(च) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं का प्रभाव 16

(छ) निगरानी और मूल्यांकन 16

(i) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई में संसद सदस्यों की भूमिका 19

(ज) अन्य योजनाओं के साथ समामेलन 19

ब. डिजीटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 22

(क) पृष्ठभूमि 22

(ख) मिशन 22

(ग) उद्देश्य 23

(घ) बजट और व्यय 23

(ड़) अव्ययित धनराशि 28

(च) भौतिक प्रगति 30

(छ) चुनौतियाँ 31

(ज) आमजन के लाभ के लिए भूमि अभिलेखों को अन्य दस्तावेजों से जोड़ना 32

(झ) नए घटक 34

(ञ) वन क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की समस्या का समाधान 38

भाग-दो

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें **40**

अनुबंध

(i) समिति की 21 फरवरी, 2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही-सारांश 46

(ii) समिति की 14 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश के उद्धरण 48

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी. चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
23. श्री शांता क्षत्री
24. श्री शमशेर सिंह ढुलो
25. श्री इरण्ण कडाडि
26. डा. वानविरॉय खारलूखी
27. श्री नारणभाई जे. राठवा
28. श्री राम शकल
29. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
30. श्री अजय प्रताप सिंह
31. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री ए. के. शाह	-	निदेशक
3.	श्री अतुल सिंह	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है ।

3. समिति ने 21 फरवरी, 2022 को भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन
भाग-एक
व्याख्यात्मक भाग
अध्याय-एक

(क) <u>प्रस्तावना</u>

समिति के समक्ष भूमि संसाधन विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य रेखांकित किये गये:

(i) वर्षा सिंचित / कृषि योग्य बंजर भूमि की उत्पादकता, आजीविका अवसरों और आय क्षमता में सतत सुधार सुनिश्चित करना

(ii) एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना जो अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही भूमि सम्बन्धित रियल टाइम सूचना में सुधार, भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग और नीति / योजना में सहायता करे।

योजनायें /कार्यक्रम:

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)

(ii) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

अधिनियम:

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

(ख) <u>भूमि संसाधन विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) की संक्षिप्त जानकारी</u>

भूमि संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान मांगों (2022-23) संबंधी मांग सं. 88 जिसे 08.02.2022 को सदन के पटल पर रखा गया, में दो स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 2259.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संबंधित निधियाँ प्रत्येक के सामने दर्शायी गई हैं :

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
	योजना निधि	
1.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	2000.00
2.	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	239.25
	कुल	2239.25
	गैर-योजना निधि	
	सचिवालय	20.00
	कुल योग	**2259.34**

अध्याय-दो

व्याख्यात्मक विश्लेषण

(क) समग्र विवरण: भूमि संसाधन विभाग के बजट और संशोधित अनुमान (2021-22) और बजट अनुमान (2022-23) व्याख्यात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है:

			(रु. करोड़ में)	
स्कीम/कार्यक्रम का नाम	**मुख्य शीर्ष**	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-23**
• प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	2501	50.00*	37.66*	59.00*
	3601	1700.00	1026.74	1697.00
	3602	50.00	30.00	44.00
उप-योग (क) **=**		**1800.00**	**1094.40**	**1800.00**
• डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	2506	135.00	225.00	215.33
उप-योग (ख)**=**		**135.00**	**225.00**	**215.33**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान				
(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	2552	200.00	121.60	200.00
(ख) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	2552	15.00	25.00	23.92
उप-योग (ग)=		**215.00**	**146.60**	**223.92**
कुल स्कीमें (क+ख+ग): (भूमि संसाधन)		**2150.00**	**1466.00**	**2239.25**
गैर-योजना				
• **सचिवालय – आर्थिक सेवा**	3451	20.42	18.52	20.09
उप-योग- गैर-योजना (घ)=		**20.42**	**18.52**	**20.09**
कुल योग (क+ख+ग+घ)=		**2170.42**	**1484.52**	**2259.34**

***बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक- रिवार्ड सहित**

(ख) बजट और वास्तविक व्यय का ट्रेंड

2.2 भूमि संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभाग ने निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किये हैं:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आर ई का % (बी ई के सापेक्ष)	बचत
2019-20	2227.24	1900.00	1535.12	80.80 (68.92)	692.12
2020-21	2251.25	1252.15	1236.50	98.75 (54.93)	1014.75
2021-22	2170.42	1484.52	605.52 (as on 18.02.2022)	40.79 (27.90)	
2022-23	2259.34				

(ग) योजनावार विवरण निम्नलिखित हैं:-

(i) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई **(रु. करोड़ में)**

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनु.	वास्तविक	आरई का व्यय% ***
2019-20	2066.00	1732.97	1478.45	85.31
2020-21	2000.00	1000.00	998.36	99.83
2021-22	2000.00	1216.00	28.71	2.36

***** 31.12.2021, *******राजस्व, $ इसके अतिरिक्त, नीरांचल परियोजना के लिए 105 करोड़ रु. प्रदान किए गए। 22.07.2019 से इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। 0.1913 करोड़ रु. का व्यय किया गया था और शेष 104.8087 करोड़ रु. की राशि वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित की गई है।

(ii) डीआईएलआरएमपी

(रु करोड़. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक खर्च	टिप्पणियां
2018-19	250.00	145.00	68.09	सभी प्रावधान राजस्व व्यय के अंतर्गत हैं।
2019-20	150.00	50.00	43.77	
2020-21	238.65	238.00	225.14	
2021-22	150.00	250.00	122.11(10.01.2022 की स्थिति के अनुसार)	

2.3 साक्ष्य के दौरान सचिव (भूमि संसाधन विभाग) ने समिति को विस्तार से समझाया:

सर**,** अब हम सीधे प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। बजट ऐस्टिमेट में मैंने जैसे बताया कि इस वित्तीय वर्ष में हमारा जो बीई है**,** वह **2170** करोड़ और आरई **1484** करोड़ है**,** हम लोगों ने **18** फरवरी तक की फिगर दी है**,** हम **605** करोड़ का एक्सपेंडिचर कर पाए हैं**,** लगभग **40** प्रतिशत खर्च हो पाया है। हमने इसके कारण जैसे बताए हैं कि वाटर शेडजो मुख्य स्कीम है**,** जिसमें लगभग **1216** करोड़ आरई का फंड्स हैं**,** एलोकेशन है**,** उसमें हम **465** करोड़ खर्च कर पाए हैं**,** उसका मुख्य कारण यह है कि दिसंबर में हमें स्वीकृति मिली है। जैसे मैंने बताया है कि जनवरी**-**फरवरी में हम लोगों ने **465** करोड़ का एक्सपेंडिचर कर लिया है। इस कारण से विलंब हुआ है। हमारी सभी स्टेट्स के साथ निरंतर चर्चा हो रही है**,** समन्वय हो रहा है और हम आशांवित है कि इस पूरी राशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय कर पाए। DILRMP में 250 करोड़ में से 123 करोड़ खर्च कर लिया है, लगभग 100 करोड़ की जो फिगर है, वह दर असल हमारे आरई में दिख नहीं रही है। हमने जो एडिशनल बजट की मांग की है, वह हमने वित्त विभाग को भेजा हुआ है। मुझे लगता है कि एक-दो दिन में इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर हम इसमें व्यय कर पाएंगे।

बजट एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड है, अगर आप इसे देखेंगे तो हमने गत वर्ष 2020-21 में 99 प्रतिशत एक्सपेंडिचर किया है। हमें आरई में 1252 करोड़ फंड्स की प्राप्ति हुई थी और 1236 करोड़ हम लोगों ने व्यय कर लिया है। इस वित्तीय वर्ष में जैसा कि हमने पूर्व में बताया है कि 1484 करोड़ आरई का फंड है, एक्चुअल 605 करोड़ एक्सपेंडिचर कर पाए हैं।

2.4 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड घटक) में पिछले वित्तीय वर्ष (2021-2022) की तुलना में इस वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान समान बजटीय आंकलन तथा वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर पीएमकेएसवाई के निधि आवंटन में कमी के कारण पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया :

"चूंकि, नई पीढ़ी की 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0' को दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिना किसी केंद्रीय हिस्से के जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं की अवधि को आगे बढ़ाया गया,वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए निधि आवंटन अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया,जो इन दो वर्षों के लिए आवंटन का केवल 25% जारी करने की अनुमति देता है। भूमि संसाधन विभाग ने उपर्युक्त कारणों के लिए आवंटन पर सहमति व्यक्त की है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है,डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 पर दिनांक 15.12.2021 को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो सका, इसलिए, दिनांक 15.12.2021 से पहले वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय निधि जारी किए जाने की कोई संभावना नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप,आरई स्तर पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निधि आवंटन में 1216 करोड़ रुपये की कमी आई।तथापि, यह उल्लेखनीय है कि यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय निधि का प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं तथा और अधिक निधि प्राप्त करना चाहते हैं तद्नन्तरअतिरिक्त राशि के लिए भूमि संसाधन विभाग वित्त मंत्रालय से संपर्क कर सकता है।."

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के बजट अनुमान (2022-23) में पिछले वित्तीय वर्ष(वर्ष 2021-22) के बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि के कारण बताते हुए विभाग ने अपने उत्तर में बताया ::

" वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने डीआईएलआरएमपी के तहत विभिन्न घटकों और नए स्वीकृत घटकों के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। विभाग पहले ही लगभग 122 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुका है। तदनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि यह कार्यक्रम भौतिक और वित्तीय दोनों उपलब्धियों के मामले में अपनी प्रगति की गति को फिर से हासिल कर लेगा।

डीआईएलआरएमपी के तहत नए स्वीकृत घटक इस प्रकार हैं:

क) भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ आधार संख्या का सहमति आधारित एकीकरण

ख) राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण

अब तक, 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के लिए 1151 करोड़ रुपये के 46 प्रस्ताव लंबित हैं।"

अध्याय तीन
योजना-वार विश्लेषण

(अ). प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)

(क) पृष्ठभूमि

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को (आईडब्ल्यूएमपी) वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में मिला दिया गया था। (डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई, वर्षासिंचित अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यकलापों में अन्य के साथसाथ-, रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदाएवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरीलगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, सम्पत्तिविहीन लोगों के लिए आजीविका, आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत 31.12.2021 तक स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

3.2 साक्ष्य के दौरान सचिव, डीओएलआर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा:

> "इस विभाग के माध्यम से हम दो बहुत बड़े क्षेत्रों में काम करते हैं। पहला, वाटर शेड डब्ल्यू डी सी (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से रेनफेड और डीग्रेडेड जो भूमि है, उसमें विभाग द्वारा काम किया जाता है और इस स्कीम को हम डब्ल्यू डी सी (पीएमकेएसवाई) कहते हैं। इसके माध्यम से जो डिग्रेडेड लैंड है, रेनफेड लैंड है, जहां पर वर्षा कम प्राप्त होती है, वहां पर नैशनल रिसोर्सेज भू-संसाधन की कई गतिविधियां हाथ में लेते हैं, लाइवलीहुड की गतिविधि हाथ में लेते हैं, सॉयल मॉइश्चर कन्जर्वेशन के काम हाथ में लेते हैं और जो उस प्रोजेक्ट एरिया के उत्पादन हैं, उनको किस तरह से मार्केट मिले, इसके लिए हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं।

3.3 उन्होंने आगे बताया:-

> हम यह मान सकते हैं या कह सकते हैं कि वाटर शेड डेवलपिंग डब्ल्यू डी सी-पी एम केएसवाई के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास का जरिया हम अपने प्रोजेक्ट एरिया में निवासरत लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र है, देते हैं।"

(ख) आवंटित और जारी की गयी निधि

3.4 गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में 31.12.2021 तक आवंटित/जारी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में**)**

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय प्रतिशत ***
2019-20	2066.00	1732.97**$**	1478.45	85.31
2020-21	2000.00	1000.00	998.36	99.83

2021-22	2000.00	1216.00	28.71*	2.36
2022-23	2000.00			

***राजस्व, $ इसके अतिरिक्त, नीरांचल परियोजना के लिए 105 करोड़ रु. प्रदान किए गए। 22.07.2019 से इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। 0.1913 करोड़ रु. का व्यय किया गया था और शेष 104.8087 करोड़ रु. की राशि वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित की गई है।, *31.12.2021 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2015-16 से, केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण पद्धति 60:40 की गई। जबकि,पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए वित्तपोषण 90:10 ही है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों का शत प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है।

(ग) <u>अव्ययित शेष धनराशि</u>

3.5 गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 05.01.2022 तक, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत अव्ययित शेष निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

वर्ष	**अव्ययित राशि @**
2019-20	2254.73
2020-21	1832.85
2021-22#	1324.88

@ अव्ययित शेष में केन्द्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा, उपार्जित ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं।, # 31.12.2021 तक राज्यों द्वारा प्रस्तुत अनंतिम सूचना के अनुसार

राज्य/संघ-वार विवरण (08.02.2022 तक)

क्रम संख्या	**राज्य का नाम**	**अव्ययित शेष राशि (रु. करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	69.70
2	बिहार	31.04
3	छत्तीसगढ़	39.33
4	गुजरात	88.22
5	हरियाणा	14.14
6	हिमाचल प्रदेश	60.09
7	झारखंड	117.47
8	कर्नाटक	5.14
9	केरल	39.70

10	मध्य प्रदेश	12.46
11	महाराष्ट्र	399.10
12	ओडिशा	19.70
13	पंजाब	2.01
14	राजस्थान	57.63
15	तमिलनाडु	0.00
16	तेलंगाना	56.76
17	उत्तराखंड	2.87
18	उत्तर प्रदेश	65.83
19	पश्चिम बंगाल	25.87
पूर्वोत्तर राज्य		
20	अरुणाचल प्रदेश	1.05
21	असम	33.26
22	मणिपुर	0.00
23	मेघालय	0.00
24	मिज़ोरम	0.00
25	नागालैंड	0.00
26	सिक्किम	0.27
27	त्रिपुरा	0.00
संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)		
28	जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र	57.63
29	लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र	0.75
	कुल	1200.02

3.6 अव्ययित धनराशि के कारण बताते हुए विभाग ने उत्तर दिया:-

"कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियोजित गतिविधियों को पूरा करने और उनके पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

भूमि संसाधन विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पास पड़ी अव्ययित शेष राशि का उपयोग करते हुए, सभी चालू परियोजनाओं को 31

मार्च 2022 तक पूरा करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी के देशव्यापी प्रसार और इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल से अगस्त, 2021 तक लॉकडाउन औरजून से सितंबर, 2021 के दौरान भारी बारिश और कई राज्यों में ओमीक्रोन के प्रसार के कारण, निधियो के उपयोग में योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी है। इन कारणों से, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली दो तिमाहियों में, वाटरशेड गतिविधियों के कार्य निष्पादन हेतु कार्य करने का सबसे बेहत्तर मौसम प्रभावित हुआ । विभाग, उपलब्ध निधियों का उपयोग करके, 31.03.2022 तक, सभी परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और सचिव (भूमि संसाधन विभाग)/संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) द्वारा अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 में उपयोग की जाने वाली निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करें और शेष राशि वापस कर दें। राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है ।"

3.7 स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों के बारे में विभाग ने निम्नांकित विवरण दिए:

" राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों का अग्रसक्रिय उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकतर राज्यों को अपने संस्थानों को सुदृढ़ करने और उच्चतर स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। भूमि संसाधन विभाग को भी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। "

(i) <u>वित्तीय प्रगति : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई **1.0**</u>

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई - I (2009-10 से 2014-15) और II (2021-22 से 2025-26) के तहत डीओएलआर द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देते हुए, डीओएलआर ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

वित्तीय प्रगति डब्ल्यूडीसी 1.0 **(रु. करोड़ में)**

वर्ष	आरई	जारी	जारी का %	व्यय (केन्द्रीय हिस्सा+ राज्य का हिस्सा + ब्याज)
2019-20	1732.97*	1478.84	85.34	2385.03
2020-21	1000	998.34	99.4	2000.26
2021-22	1216	465.85	38.31	-

*नीरांचल विश्व बैंक परियोजना के लिए प्रदान किए गए 105.00 करोड़ रुपये को छोड़कर
भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को योजना को जारी रखने को मंजूरी दी, 25 जनवरी 2022 के बाद निधि को जारी करना शुरू हुआ.

3.8 निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, डीओएलआर ने अपने लिखित नोट में बताया:

"डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सामने क्षमता चुनौतियां हैं, जिनके लिए भूमि

संसाधन विभाग ने अपने वरिष्ठ प्राधिकारियों के साथ मुद्दे को उठाया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमताओं को सृजित करने के लिए एक समय-सीमा दी गई है। यहां तक कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए डीपीआर तैयार करने को भी उनके प्रदर्शन से जोड़ा गया है। इसके अलावा, नई पीढ़ी की 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0' को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 15 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। भूमि संसाधन विभाग ने पहले ही 49.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 1099 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और 31-01-2022 की स्थिति के अनुसार पहली किश्त के रूप में 18 राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 336.13 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पहली किश्त (151.58 करोड़ रुपए) जारी करने का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से और अन्य व्यय को लेते हुए, कुल 365.40 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग किया गया है (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार) । भूमि संसाधन विभाग प्रभावी रूप से निधियों का उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कह रहा है। "

(ii) भौतिक प्रगति : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0

3.9 पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

वर्तमान स्थिति : डब्ल्यूडीसी 1.0

- 2009-10 से 2014-15 तक स्वीकृत कुल परियोजनाएं : **8214**; क्षेत्रफल 39.07 मिलियन हेक्टेयर
- राज्यों को हस्तांतरित परियोजनाएं: **1832**; 9.478 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल
- भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित निवल परियोजनाएं : **6382**; 29.592 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल
- वित्तीय वर्ष 2015-16 से कोई नई वाटरशेड परियोजना स्वीकृति नहीं की गई।

परियोजनाओं के चरण	31.01.2022 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की संख्या
भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित की जा रही परियोजनाएं	6382
प्रशासनिक कम्प्लीसन/क्लोज़र	5251
समेकन चरण	233
कार्य चरण	898

3.10 इस संबंध में सचिव (डीओएलआर) ने साक्ष्य के दौरान समझाया:-

"संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि वाटर शेड जो पहली स्कीम है, उस पर हमारा फेज-वन, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0, 31 मार्च, 2021 में हमने इसे पूर्ण कर लिया है। इसका प्रोजेक्ट पीरियड हमारा खत्म हुआ है। इसमें 6,382 जो हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शंड हुए थे, उनमें से 5,250 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। 233 प्रोजेक्ट्स कंसोलिडेशन फेज में हैं, तो यह मान कर चलें कि 5500 के लगभग प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। वर्क फेज में हमारे पास सिर्फ 880-90 के लगभग प्रोजेक्ट्स शेष रह गए हैं, जिसमें राज्यों के साथ हम लोग सतत समन्वय में हैं और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च तक ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। यह एक साल का समय इसलिए दिया गया है ताकि लोग अपने प्रोजेक्ट्स को पूरे कर पाएं। पुराने प्रोजेक्ट्स में राशि हम लोग रिलीज नहीं करते हैं। हमारा विश्वास है कि 31 मार्च, 2022 में हम सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेंगे। कुछ-एक, किन्हीं कारणों से अगर कोई बच जाता है तो हम लोगों ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपनी राशि लगाकर इस को पूर्ण करें। एक बहुत खास बात वाटरशेडडब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत यह है कि पूरे देश का जो कुल 97 मिलियन हैक्टेअरक्षेत्र है, यह रेनफेड और डीग्रेडेड लैंड के अंतर्गत आता है, उसमें डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 जो फेज है, इसमें हम लोगों ने 25 मिलियन हैक्टेअर में काम कर लिया है। शेष जो 4-4.5 मिलियन हैक्टेअर है, हमारी उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम इसमें और काम कर पाएंगे, तो कुल मिलाकर 29 मिलियन हैक्टेअर में हम इसमें काम कर चुके होंगे। एक दिशा है, जो पूरा 97 मिलियन हैक्टेअर का भू-भागहै, बहुत बड़ा भू-भागहै, जिसमें हम काम कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल निर्धन, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग इसमें निवासरत हैं और यूँ कहलें कि देश की 80 प्रतिशत जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो निर्धन ग्रामीण जनता है, उनके क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं।"

(iii) वर्तमान स्थिति : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0

- भारत सरकार ने डब्ल्यूडीसी 2.0 को 15 दिसंबर 2021 को मंजूरी दी; 8134 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय, 4.95 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य क्षेत्र; परियोजना अवधि : वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित लक्ष्य क्षेत्र : राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के समग्र सूचकांक का अनुसरण किया गया।
- संचालन समिति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीपीआर का मूल्यांकन किया तथा मंजूरी दी: 4.92 मिलियन हेक्टेयर (लद्दाख का संघ राज्य क्षेत्र में प्रक्रियाधीन)
- आज की तारीख तक जारी: 465.85 करोड़ रु.
- स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या : 1099

3.11 साक्ष्य के दौरान सचिव (डीओएलआर) ने **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई** -2.0 का विवरण देते हुए समिति को बताया:

> "हमारा वाटरशेड डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 जो सेकेंड फेज है, बड़ी खुशी की बात है, पिछली बार भी इसकी चर्चा हुई थी कि हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि इसकी स्वीकृति निकाल पाएं और हम लोगों ने इसको कैबिनेट में लेकर, कैबिनेट ने हमें दिसंबर माह में स्वीकृति दी है और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने प्लानिंग इतनी जबरदस्त की है कि 1099 प्रोजेक्ट्स की जो स्वीकृति है, जनवरी माह में हमने सभी प्रोजेक्ट्स को कर लिया। यह बहुत बड़ा काम है। पूरे 1099 प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति के लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क हम लोगों को करना पड़ा, लेकिन एक महीने में हमने इन सारे प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति की। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम 4.92 मिलियन हैक्टेअर्स में आने वाले पांच वर्षों में काम करेंगे। इसमें कुल 8,134 करोड़ रुपये के लगभग हमारी राशि जाएगी। पूरा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 जो है, वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के कार्यकाल में हम इस पर काम करेंगे।"

(घ) <u>चुनौतियाँ</u>

3.12 परिवर्तित वित्त पोषण पद्धति के सम्बन्ध में में सभी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई राज्यों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने में आ रही चुनौतीयों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया:-

> "अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को अपने समतुल्य राज्य हिस्सा जारी कर रहे हैं। तथापि, कभी-कभी कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में तदनुरूपी राज्य हिस्सा जारी करने में थोड़ा विलम्ब होता है। तथापि, केन्द्रीय हिस्से की अगली किस्त उन्हें परियोजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य का हिस्सा प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है । "

3.13 डीओएलआर के समक्ष चुनौतियों और बाधाओं, निधियों की आवश्यकता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे, और इसके संवर्धन की आवश्यकता के बार एमे पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया:-

> **"** वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास में चालू वाटरशेड परियोजनाओं के सतत सकारात्मक प्रभाव को देखने के बाद, विभाग ने 2021-22 से 2026-27 तक 20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के उद्देश्य के साथ नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजनाओं को शुरू करने के लिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भूमि अवक्रमण शून्यता (एलडीएन), एलडीएन लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और किसानों की आय दोगुनी करने में स्कीम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए, विभाग डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की नई पीढ़ी की परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

चालू डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत, अपनाए गए लागत मानक वर्ष 2008-09 से प्रचलन में हैं। नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित लागत मानक मैदानी क्षेत्रों के लिए 22,000/- रु. प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 28,000/- रु. प्रति हेक्टेयर है। तथापि, लागत मानक में प्रस्तावित वृद्धि सेचूरेशन आधार पर वाटरशेड परियोजनाओं के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, भूमि संसाधन विभाग, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न संगत स्कीमों के तहत संभावित कार्यकलापों के समामेलन को अधिकाधिक बढ़ाने और वित्तीय अंतर को कम करने का प्रयास करने हेतु राज्यों पर बल दे रहा है। तदनुसार, राज्यों से जिला योजना के आधार पर वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में उपयुक्त कार्यकलापों की रूप-रेखा तैयार करने और सेचूरेशन आधार पर संतुलित डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। प्रस्तावित लागत मानकों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से डीपीआर में उल्लेख किया जाए और समामेलन के माध्यम से जरूरतों को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजनाओं के संशोधित दिशा-निर्देशों में कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसानों की आय में वृद्धि के लिए परियोजनाओं के योजना स्तर के समय से ही किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) की भूमिका की परिकल्पना की गई है। इस कार्यकलाप को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की स्कीम '10,000 एफ़पीओ का गठन और प्रसार' के समामेलन में ,जहां कहीं भी संभव हो, कार्यान्वित किया जाएगा। वाटरशेड कार्यक्रम के आजीविका कार्यकलापों को ग्रामीण विकास विभाग के 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के सामामलेन में, जहां कहीं भी संभव हो, कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।"

3.14 मौजूदा जमीनी हकीकत के संदर्भ में, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत सभी स्वीकृत परियोजनाओं को कब तक पूरा कर सकने के प्रश्न पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया :

" भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित की जा रही 6382 परियोजनाओं में से, 31.03.2021 तक, राज्यों द्वारा 4792 (75.09%) परियोजनाओ के पूर्ण होने की सूचना दी गई थी, 409 (6.41%) परियोजनाएं समेकन चरण में थीं और 1181 (18.51%) परियोजनाएं कार्य चरण में थीं। हालांकि, 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 5243 (82.15%) परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना दी गई है, 245(3.84%) परियोजनाएं समेकन चरण में हैं और 894 (14.01%) परियोजनाएं कार्य चरण में हैं। विभाग, 31.03.2022 तक, सभी परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और सचिव (भूमि संसाधन)/संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) द्वारा अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से सभी प्रयास कर रहा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों को बढ़ावा देने और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करवाने के लिए क्षेत्रों के दौरे भी कर रहे हैं। "

3.15 इस संबंध में, साक्ष्य के दौरान, डीओएलआर के प्रतिनिधियों ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के माध्यम से भूमि विकास के लिए लागत मानदंड सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बताया:-

"पिछली बार जब हम लोग बैठे थे, तब कॉस्टनॉर्म्स की चर्चा हम लोगों ने की थी कि लोगों को काम करने में जो कठिनाई आ रही है। पहले 12 हजार प्रति हैक्टेअर हम प्लेन एरिया में दे पाते थे, जबकि 15 हजार प्रति हैक्टेअर हिल एरिया में देते थे। राज्यों ने मांग की थी कि इस राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें काम करने में कठिनाई हो रही है। कैबिनेट ने इसको प्लेन एरिया में 22 हजार कर दिया है और 28 हजार हिल एरिया के लिए अनुमत दी है।

यह बहुत बड़ी सुविधा स्टेट्स को होगी। एक अच्छी वर्केबल राशि इनको मिल जाएगी। आपको याद होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे तब डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 में लगभग सात साल का प्रोजेक्ट पीरियड होता था, उसको हम लोगों ने छोटा कर दिया है और तीन से पांच वर्ष कर दिया है। सभी राज्यों को वॉटरशेड कैसे काम करने हैं, यह अमूमन, कमोवेश सभी को पता हो गया है, इसीलिए हमने प्रोजेक्ट पीरियड को तीन से पांच वर्ष कर लिया है। हम आशान्वित हैं की इसको पांच वर्षों में कर लेंगे।"

(ङ) <u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई -2.0 के तहत दृष्टिकोण में बदलाव</u>

3.16 साक्ष्य के दौरान डीओएलआर ने नीति आयोग द्वारा केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम के दृष्टिकोण में प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, स्थिरता, प्रभाव / समानता और एंड लाइन मूल्यांकन जैसे छह क्षेत्रों पर निम्नलिखित बदलाव को रेखांकित करते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, नागालैंड, तमिलनाडु, बिहार और केरल राज्यों में संकेतक और उपलब्धियों को बताया:-

(i) पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समानता

(ii) जल उत्पादकता पर अधिक निर्भर रहकर, वर्षा जल के प्रभावी उपयोग पर बल देना

(iii) प्रबलता पूर्वक यांत्रिक/अभियांत्रिकी निरुपणों से और अधिक जैविक उपायों की दिशा में परिवर्तन

(iv) जोखिम प्रबन्धन के लिए फसल विविधिकरण हेतु प्रभावी योजना, उत्पादकता को बढ़ाना और सिद्धांत के रूप में फसल संरेखण का चयन करना

(v) बागवानी, वनीकरण, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को अपनाकर वाटरशेड अर्थव्यवस्था का विविधीकरण

(vi) कृषि-व्यवसाय सेवाओं को बढ़ावा देने और लेनदेन को दक्षता प्रदान करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) जैसी आर्थिक रूप से जीवंत संस्थाएं

(vii) स्थानीय, सामाजिक और पारंपरिक क्षमताओं को समायोजित करने के लिए नियोजन प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण, लचीलेपन, सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करना

(viii) वाटरशेड विकास परियोजनाओं के तहत एक कार्यकलाप के रूप में स्प्रिंगशेड का व्यापक निरूपण आरम्भ करके झरनों का कायाकल्प करना

(ix) क्षमता निर्माण और नवोन्मेषों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान

(x) जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अनुकूलन और शमन

(च) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का प्रभाव

3.17 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत अब तक प्राप्त सकारात्मक प्रभाव का विवरण पूछने पर, जिनसे डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो सकेगा, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया::-

> "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संकलित सूचना के अनुसार, 2015-16 से 2021-22 (तीसरी तिमाही) के बीच, 6.52 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया। 1439 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित हुए किसानों की संख्या 31.21 लाख है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से 2021-22 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान, 1.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी) के अंतर्गत लाया गया है, पूरी हो चुकी परियोजना क्षेत्र में 3.28 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि का निरूपण किया गया है और 377.61 लाख मानव दिवस सृजित किए गए ।
> इसके अलावा, पूरी की गई परियोजनाओं की एंड-लाइन मूल्यांकन रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ वाटरशेड कार्यकलापों के कारण महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं:
>
> - जल स्तर में 3 मीटर तक की वृद्धि
> - जोत क्षेत्रों में 30% तक की वृद्धि
> - फसल गहनता में 18.30% तक की वृद्धि
> - दुग्ध उत्पादन में 40% तक की वृद्धि
> - औसत वार्षिक आय में 70.13% तक की वृद्धि

(छ) निगरानी और मूल्यांकन

3.18 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में डीओएलआर ने रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए निम्नलिखित टूल्स की रूपरेखा प्रस्तुत की:-

- अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी: कार्यक्रम की निगरानी के लिए एनआरएससी के साथ करार (2015/2016)
  - सृष्टि जिओ पोर्टल
  - दृष्टि मोबाइल ऐप
- मोबाइल एप्लिकेशन 'दृष्टि' का उपयोग करके कार्यों की जियो-कोडेड और टाइम स्टैम्प्ड तस्वीरें अपलोड की जाती हैं।
- 17.02.2022 तक 16.38 लाख फोटो अपलोड किए गए
- यह टूल कार्यों के भौतिक और गुणवत्तापरक मूल्यांकन में सहायता करता है।
-

3.19 अपने लिखित उत्तर में विभाग ने बताया:

> "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, परियोजना के वैज्ञानिक नियोजन और निगरानी प्रदर्शन के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग (आरएस) दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और इसरो से प्राप्त उपग्रह

इमेजरी आंकड़ों का उपयोग करके कोर जीआईएस सुविधाओं को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय की नोडल एजेंसी (एनएलएनए) और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) की आवश्यकता होगी ।"

3.20 नीति आयोग द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के मूल्यांकन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अंतरिम रिपोर्ट की निम्नांकित निष्कर्षों को साझा किया:-

"डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई सहित 28 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा किया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी के प्रमुख निष्कर्षों/सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :-

i. वर्षासिंचित कृषि देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करती है। वाटरशेड विकास का उद्देश्य निवल जोत क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के वर्षासिंचित क्षेत्रों का विकास करना है।.

ii. जैसा कि विभिन्न एंड-लाइन मूल्यांकन रिपोर्टों में दर्शाया गया है, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई सतही और भूजल उपलब्धता में सुधार, फसल गहनता में वृद्धि, बागवानी फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र, फसल उत्पादकता और आजीविका के अवसरों जैसे लाभों को प्राप्त करने में प्रभावी रहा है।

iii. वाटरशेड परियोजना ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रोजगार को सुकर बनाने में भूमिका निभाई है। आजीविका घटक के तहत स्वरोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

iv. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत आईएसआरओ/एनआरएससी द्वारा विकसित सृष्टि और दृष्टि 'भुवन पोर्टल' ने वाटरशेड परियोजनाओं की योजना और निगरानी में काफी सुधार किया है। योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग होता है।

v. बजट का लगभग 16.6% अनुसूचित जाति उप-योजना और 10% जनजातीय उप-योजना के लिए जारी किया जाता है। किसी भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी (% के संदर्भ में), राष्ट्रीय स्तर पर वाटरशेड के चयन का एक मानदंड है। भूमिहीन और संपत्तिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी, आजीविका गतिविधियों के अंतर्गत कवर की जाती है जिसके लिए आवंटन का 9% निर्धारित किया जाता है। एसएचजी का गठन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है ।

vi. योजना दिशानिर्देशों में सुनिश्चित किया गया है कि वाटरशेड परियोजनाएं इक्विटी के सिद्धांत का पालन करती हों, जिसमें परियोजना के डीपीआर चरण से समेकन चरण तक महिलाओं के हित को ध्यान में रखा जाता है ।

vii. 12,000 रु. प्रति हेक्टेयर का लागत मानदंड (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15,000 रु), जो वर्ष 2008-09 से लागू है, डब्ल्यूडीसी परियोजना के लिए बहुत कम है। ये लागत मानदंड पुराने हैं और इनमें संशोधन की आवश्यकता है। योजना के लिए लागत मानदंडों को वर्तमान बाजार की स्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के लिए, लागत मानदंड 25,000 से 30,000 रु प्रति हेक्टेयर के बीच होना चाहिए।

viii. समामेलन, परियोजना के योजना चरण में किया जाना चाहिए, न कि कार्यान्वयन चरण में।

ix. वाटरशेड योजनाओं की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सुधार के उपायों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर आम लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

x. वाटरशेड परियोजनाओं को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान सहकारी समितियों (एफसी) के निर्माण और संपोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।

xi. ओएंडएम चरण के दौरान, परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव के लिए उचित सहयोग के साथ स्थानीय समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ।

xii. भूमि संसाधन विभाग को पेशेवर व्यक्तियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और राज्यों को तकनीकी मामलों पर उचित मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है।

xiii. भारत का लक्ष्य वर्तमान वार्षिक कृषि उत्पादकता (2,509 किग्रा/हेक्टेयर) को वर्ष 2030 तक दोगुना करके 5,018 किग्रा/हेक्टेयर करना है। वर्षा सिंचित कृषि का कुल खादयान्न उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान है।

xiv. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) में कृषि अध्ययन केंद्र के अनुसार, जल संरक्षण और पुनर्भरण में योगदान करने वाली, और मृदा अवक्रमण को रोकने वाली वाटरशेड विकास परियोजना ही वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए एकमात्र विकल्प है।

xv. ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (वर्ष 2016-2017) ने जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक, पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी, पर अपनी रिपोर्ट में दृढ़ता से महसूस किया कि कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, डब्ल्यूडीसी के तहत परियोजनाएं वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

xvi. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई, एसडीजी 15.3 के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जो विशेष रूप से भूमि अवक्रमण शून्यता से संबंधित है। भारत वर्ष 2030 तक, 26 मिलियन हेक्टेयर की अवक्रमित भूमि में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वर्ष 2020 तक, बॉन चुनौति के रूप में 13 मिलियन हेक्टेयर की प्रतिबद्धता और वर्ष 2030 तक, 8 मिलियन हेक्टेयर की प्रतिबद्धता शामिल है। भारत सरकार, यूएनसीसीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। प्रधान मंत्री ने 5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का सुधार करने का भी वचन दिया है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ऊपर उल्लिखित मूल्यांकन अध्ययन में की गई सिफारिशें; जैसे, लागत मानदंडों में संशोधन, वाटरशेड योजनाओं की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सुधार के उपाय, फॉरवर्ड लिंकेज, प्रभावी परियोजना कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी, पश्च परियोजना अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का रखरखाव, भूमि संसाधन विभाग का सुदृढ़ीकरण, समामेलन की आवश्यकता आदि को नई पीढ़ी की डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए संशोधित मसौदा दिशानिर्देशों में विधिवत रूप से समाविष्ट किया गया है और विभाग इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

(i) <u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई में संसद सदस्यों की भूमिका</u>

3.21 क्या कार्यान्वयन में गुणवत्ता की निगरानी के लिए संसद सदस्यों और राज्यों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों के सद्स्यों के साथ गठित सतर्कता और निगरानी समितियां सभी राज्यों में अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं? इसके लिखित उत्तर में विभाग ने बताया:-

" ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हमारे देश में जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकाय) और संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (डीआईएसएचए) का गठन किया है। इन समितियों की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार तथा अधिक प्रभाव के लिए तालमेल एवं समामेलन को बढ़ाकर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए, परिकल्पना की गई थी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट www.ruraldiksha.nic.in पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिशा की बैठकें समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। उपरोक्त पोर्टल पर इन बैठकों की सूचनाएँ, कार्य सूची की बिंदुओं के साथ-साथ इन बैठकों की कार्यवाही (पीओएम) के अभिलेख रखे जाते हैं। ये अभिलेख ग्रामीण विकास विभाग की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है । इसके अलावा, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के नोडल एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्रों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस (कोरोना महामारी के दौरान) के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान, इस तरह की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने और संबंधित मुद्दों पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई से करने के लिए अक्सर स्मरण करवाया जाता है।"

(ज) <u>अन्य योजनाओं के साथ समामेलन</u>

3.22 अपने वर्तमान कार्यक्रमों के दायरे और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रमों के साथ अपने क्षेत्राधिकार के तहत कार्यक्रम के समामेलन के उद्देश्य को साकार करने के लिए डीओएलआर द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया :-

"प्रभावी समामेलन के लिए, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सलाह दी है कि वे डब्ल्यूडीसी 2.0 के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए अपनी पात्र गतिविधियों और संसाधनों के साथ विभिन्न उपलब्ध योजनाओं पर विचार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन्हें जोड़ा जा सकता है, निम्न हैं:

क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) : पीएमकेएसवाई के तहत तैयार की गई जिला सिंचाई योजनाएं (डीआईपी) , जिलों में जल क्षेत्र के विकास के लिए एक मास्टर प्लान प्रदान करता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए पीडब्ल्यूडीपी को डीआईपी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। परियोजना क्षेत्र में निर्मित जल स्रोतों की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ पीएमकेएसवाई के 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक को शामिल करने के लिए, यहां

समामेलन को बढ़ावा दिया जाना है। यह जल निकायों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को एकीकृत करके और कम जल लागत वाली फसलों और किस्मों को बढ़ावा देकर किया जाता है।

ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) : विभिन्न राज्यों में मनरेगा गतिविधियों के साथ वाटरशेड विकास परियोजनाओं को एकीकृत करने की प्रणाली विकसित की गई है। मनरेगा, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से श्रम गहन कार्यों को बढ़ावा देता है, वाटरशेड विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहां जल संचयन संरचनाओं, भूमि विकास, मृदा और जल संरक्षण निरूपण और पौधरोपण करने की गुंजाइश होती है, जो सभी वाटरशेड परियोजना में आवश्यक हैं। पीडब्ल्यूडीपी और मनरेगा के बीच समामेलन पारस्परिक लाभ के लिए हो सकता है। मनरेगा के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित सभी कार्यकलापों को निर्दिष्ट किया जा सकता है और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम): इस कार्यक्रम ने, हाल ही में, एनएफएसएम (दाल), तिलहन और पोषक अनाज के माध्यम से दालों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ये फसलें मौसम की अनिश्चितताओं के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देने के अलावा, वर्षा सिंचित फसल प्रणालियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वाटरशेड परियोजनाओं और एनएफएसएम के बीच युक्तिपूर्ण समामेलन, परियोजना क्षेत्र में इन फसलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली इन फसलों की पैदावार में मृदा, जल, गुणवत्तापूर्ण इनपुट की बेहतर स्थिति और अच्छी कृषि पद्धतियों से पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

घ) एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफ़एस): वर्षा सिंचित कृषि, वृक्षों (कृषि-वानिकी के लिए उपयुक्त), बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन आदि के साथ एकीकृत होने पर उच्च आय और बेहतर सुविधा सृजित कर सकती है। परियोजना क्षेत्र में आईएफएस का तरीका कई चालू सरकारी योजनाओं को लाभान्वित कर सकता है। इन योजनाओं में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ताड़ तेल (एनएमईओ–ओपी), कृषि-वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ़), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर वाटरशेड परियोजनाओं के तहत प्रासंगिक योजनाओं के साथ अधिक से अधिक समामेलन करने के लिए परामर्शी जारी किए गए हैं। हाल ही में, प्रभावी वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए प्रासंगिक केंद्रीय योजनाओं के सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए समामेलन प्रयासों पर जोर देने के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दिनांक 24.04.2020 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या जे-11060/4/2019-आरई -VI जारी किया गया। संतृप्ती आधार पर, वाटरशेड परियोजनाओं के विकास के लिए लागत मानदंड पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, भूमि संसाधन विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ,केंद्र

और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत, संभावित गतिविधियों के अधिकतम समामेलन करने और वित्तीय अंतर को कम करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। समामेलन से संतृप्ती के आधार पर पीएमकेएसवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलने की संभावना है। "

3.23 साक्ष्य के दौरान बताया गया :-

"पहले के जो डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और 2.0 में जो सुधार हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है, इस बार जीआईएस बेस्ड प्लानिंग पर हम लोग जोर दे रहे हैं और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो प्लान है, जोडीपीआर होगा, वह जीआईएस बेस्ड प्लान्स और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के माध्यम से इसका निर्धारण करेंगे कि कहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ पर बंधान बनेगी, पर्कुलेशन टैंक कहाँ पर बनेगा, ताकि उस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। ये जो कार्य हैं, वे गलत क्षेत्र में न हो जाएं, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने जीआईएस बेस्ड प्लान और रिमोर्ट सेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिया है।"
एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में लिया है।"

3.24 साक्ष्य के समय विस्तार से बताते हुए आगे कहा गया -

"स्प्रिंगशेड के विकास का काम हम लोगों ने इसके अंतर्गत अपने हाथ में लिया है। डब्ल्यूडीसी 2.0 में स्प्रिंगशेड की जो एक्टिविटीज़हैं, जो हिमालयन क्षेत्र में है, नार्थ-ईस्ट क्षेत्र में है, वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न घाट में है, जहां-जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां-जहां झरने सूख चुके होते हैं, उनमें हम कार्य कर सकें, ऐसी सुविधा देने के लिए हिमालयन क्षेत्र में खासकर बहुत मांग आई थी और नीति आयोग ने इस पर एक स्टडी रिपोर्ट भी जारी की है। नीति आयोग ने यह चाहा था कि स्प्रिंग शेड को भी हम डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई2.0 योजना में शामिल करें, तो इसको भी हम लोगों ने शामिल किया है। इससे एक बहुत बड़ा काम होगा, हिमालयन क्षेत्रों में, नार्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में , ईस्टर्न-वेस्टर्न घाट्स में, जहां-जहां ये झरने सूख रहे हैं, सूख गए हैं। एक स्टडी रिपोर्ट जारी हुई है, वह यह कहती है कि हिमालयन क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत झरने सूख चुके हैं। कैसे उनको पुनर्जीवित किया जाए, यह हम इसमें जोर देंगे"

3.25 इस संबंध में, समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना के तहत पारंपरिक जल निकायों की सफाई का काम किया जा सकता है? सचिव (डीओएलआर) ने बताया कि :-

"सर, ऐसा प्रोजेक्ट एरिया जो 5 हजार हेक्टेयर का आइडेंटिफाइ किया जाता है, उसे स्टेट को ही करना होता है। जैसा एडीश्नल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उसको रैंक करके कि यहां पर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब वे इस काम को कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को लेना है तो फिर उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी और कितनी एक्टिविटी लेनी है, यह भी उन्हीं को निर्धारित करना होता है। उनको यह तय करने का अधिकार है। उसमें आपने यह जो सुझाया है कि डिसिल्टिंग करके तालाब का गहरीकरण करना आदि किया जा सकता है।"

3.26 समिति ने यह भी पूछा कि क्या बुलढाना पैटर्न, जिसमें सड़कों का निर्माण गादयुक्त सामग्री के उपयोग से किया जा रहा है और जिससे जल निकायों की क्षमता में वृद्धि हुई है, का कार्य डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजनाओं के तहत किया जा सकता है, सचिव (डीओएलआर) ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> **"**सर**,** वह एलाउड है**,** उसकी एक ही शर्त है कि वह कार्य इसी प्रोग्राम से सैंक्शन न हुआ हो। यदि यही प्रोग्राम पहले से चला है**,** तब वह इसमें नहीं हो पाएगा**,** लेकिन वह तालाब पहले मनरेगा के तहत**,** राज्य सरकार ने या लोकल लोगों ने बनाया है तो उसकी डिसिल्टिंग इसमें कर सकते हैं।**"**

3.27 इस संबंध में, समिति ने यह भी सुझाया कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई कार्यक्रम के तहत जल निकायों से निकाली गई उपजाऊ मिट्टी के उपयोग से बंजर भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। सचिव, डीओएलआर ने साक्ष्य में बताया:

> **"**सर**,** हमने गाइडलाइन्स में इसे डाला है कि जो वाटरशेड कमेटी है**,** जिनके लिए यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जा रहा है**,** उनको इसे प्रस्तावित करना चाहिए और फिर डीपीआर में आकर इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। इसे निचले स्तर पर शामिल करना पड़ेगा।**"**

(ब) <u>डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)</u>

(क) पृष्ठभूमि

3.28 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में डीओएलआर ने डीआईएलआरएमपी के बारे में अवगत कराया : -

(i) पूर्ववर्ती एनएलआरएमपी को कैबिनेट द्वारा **21.8.2008** को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था।
(ii) बाद में डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (**DILRMP)** कर दिया गया
(iii) **1.4.2016** से केंद्रीय क्षेत्र योजना **(**केंद्र द्वारा **100%** वित्त पोषण)
(iv) कार्यक्रम मार्च **2026** तक बढ़ाया गया**.**

(ख) मिशन

(i) प्रथमतः भारत के नागरिकों को जाति**,** सम्प्रदाय, धर्म**,** क्षेत्र**,** ग्रामीण या शहरी**,** गरीब या अमीर**,** किसान या मजदूर या उद्यमी**,** आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लाभों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणालियों के एकीकरण हेतु अखिल भारतीय डिजिटल पहलें
(ii) दूसरा**,** भारत सरकार और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के के विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई सेवाओं / एजेंसियों / योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ एकीकरण के माध्यम से इष्टतम सेवा प्रदायगी को प्राप्त करना है।

(ग) उद्देश्य

3.29 एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने और उसे सुकर बनाने के उद्देश्य से एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना:

(i) भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच
(ii) **भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार**
(iii) **भूमि विवादों में कमी**
(iv) **धोखाधड़ी और बेनामी सम्पत्ति के लेनदेन को रोकना**
(v) **व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना और नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी**
(vi) **भूमि संबंधी सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना**
(vii) **विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के बीच सूचना को साझा करना**
(viii) **एकीकरण के माध्यम से भूमि शासन सम्बन्धी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकारियों के पास नागरिकों व्यक्तिगत भागदौड़ में कमी करना.**

3.30 सचिव, डीओएलआर ने साक्ष्य के दौरान बताया:

"जो राजस्व का काम हम हाथ में लेते हैं, यह DILRMP स्कीम के अंतर्गत हम काम करते हैं और यह सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम है, शत-प्रतिशत अनुदान हम राज्यों को देते हैं। किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स को मॉर्डर्नाइज्ड कर सकें, कम्प्यूटराइज्ड कर सकें, डिजिटाइज्ड कर सकें, यह बहुत बड़ा काम हम अपनी DILRMP स्कीम के अंतर्गत करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कम्प्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम जो एक सर्विसेज देते हैं आम आदमी को, आम किसान को, उसे हम DILRMP के माध्यम से आसान करते हैं। हम इस संबंध में विस्तार से प्रजेंटेशन में बताएंगे।"

3.31 साक्षियों ने आगे बताया :

"जहां तक **DILRMP** की बात है, यह बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। यह जमीन, राजस्व से जुड़ी हुई स्कीम है। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में सिविल कोर्ट्स में जो लिटिगेशन है, लगभग **66** प्रतिशत लिटिगेशन या जो समस्याएँ हैं, वह जमीन से जुड़ी हुई हैं। सर, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जब न्यायालयों में राजस्व के मामले, लिटिगेशन के मामले जा रहे हैं, तो यह नितांत आवश्यक है कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के माध्यम से हम जो कम्प्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन के काम को हाथ में लेते हैं, इस दिशा में हमारा बहुत बड़ा रोल है कि आम जनता और आम किसान को हम किस तरह से सुविधाओं को दे पाए।

(घ) बजट और व्यय

3.32 वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक (05-01.2022 तक) डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत जारी धनराशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	उपलब्धियों का(संशोधित अनुमान के संबंध में) प्रतिशत

2018-19	250.00	145.00	68.09	46.96
2019-20	150.00	50.00	43.77	87.54
2020-21	238.65	238.00	225.14	94.60
2021-22	150.00	250.00	122.11	48.84
कुल	**788.65**	**533.00**	**459.11**	

डीआईएलआरएमपी के तहत राज्य वार तथा घटक वार भौतिक प्रगति

(10.01.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**घटक**	**पूरी की गई (90% के बराबर या से अधिक)**	**जारी (10% से अधिक तथा 90% से कम)**
1	**भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण (सीएलआर)**	**27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**	**6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब,राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	असम, दमन और दीव, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
2	**भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण**	**21 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :**	**10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :**
		बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड,	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना,

		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
3	**अधिकारों के अभिलेखों के साथ भूकर मानचित्रों का एकीकरण**	**7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**	**14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :**
		बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
4	**संपत्ति रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण (सीपीआर)**	**28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**	**3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	दमन और दीव, लद्दाख, तमिलनाडु
5	**भूमि अभिलेखों और संपत्ति रजिस्ट्रीकरण का एकीकरण**	**22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**	**6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:**
		आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल,	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तर

		मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	प्रदेश

डीआईएलआरएमपी के तहत कुल जारी निधियां और शामिल जिले

(10-1-2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी निधियां (रु. लाख में)	शामिल जिले (सं.)
1.	आंध्र प्रदेश	17934.34	13
2	अरुणाचल प्रदेश	1230.94	3
3	असम	5400.455	27
4	बिहार	11063.75	38
5	छत्तीसगढ	4452.415	13
6	गुजरात	14404.27	32
7	गोवा	584.07	2
8	हरियाणा	4144.65	21
9	हिमाचल प्रदेश	5608.01	12
10	जम्मू और कश्मीर	2701.639	12
11	झारखंड	8163.06	20
12	कर्नाटक	2451.2	6
13	केरल	3298.05	11
14	मध्य प्रदेश	17876.25	52
15	महाराष्ट्र	7745.356	34
16	मणिपुर	746.34	10
17	मेघालय	623.75	5
18	मिजोरम	2367.981	3
19	नागालैंड	1547.621	9
20	ओडिशा	12128.04	30
21	पंजाब	2796.263	5
22	राजस्थान	19607.82	33
23	सिक्किम	1571.016	4

24	तमिलनाडु	4562.57	37
25	तेलंगाना	8385.21	10
26	त्रिपुरा	2983.591	7
27	उत्तर प्रदेश	4231.008	75
28	उत्तराखंड	4107.754	13
29	पश्चिम बंगाल	9526.32	19
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	172.25	1
31	चंडीगढ़	89.2	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	65.78	1
33	दिल्ली	132.07	1
34	दमन और दीव	103.72	2
35	लक्षद्वीप	216.41	1
36	पुदुचेरी	498.57	2
37	लद्दाख	0	0
	कुल=	**183521.739**	**564**

3.33 कुछ राज्यों में निधियों के धीमे उपयोग के क्या कारण पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि -

" वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व, दिनांक 31.12.2019 तक केवल प्रतिपूर्ति आधार पर निधियों को जारी करने की अनुमति थी। तथापि, 30 प्रतिशत तक प्रारंभिक अग्रिम (वर्ष 2018-19 के दौरान केवल प्रथम किस्त के लिए) और इसके बाद की किस्त को केवल प्रतिपूर्ति आधार पर जारी करने की अनुमति दी गई थी। इस परिवर्तन के कारण, राज्यों के योगदान में असमर्थता के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बहुत कम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे निधियों को जारी करने पर प्रभाव पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप धीमी गति से प्रगति हुई। व्यय विभाग ने अब दिनांक 03.01.2020 से वित्त पोषण पद्धति को प्रतिपूर्ति आधार से अग्रिम आधार में पुनः प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है तथा विभिन्न घटकों, जैसे कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और कोर जीआईएस, को पुनः आरंभ करने का भी अनुमोदन किया है। वित्तपोषण पद्धति के प्रतिपूर्ति आधार से अग्रिम आधार में पुनः आरंभ होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिनांक 10.01.2020 को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। इस विभाग में निधियों को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1000 करोड़ रु से अधिक के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। तदनुसार, यह आशा की जाती है कि यह कार्यक्रम भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां, दोनों क्षेत्रों में प्रगति की अपनी गति को पुनः प्राप्त कर लेगा। कोविड 19 महामारी ने भी पूरे भारत में डीआईएलआरएमपी की प्रगति को बुरी तरह से प्रभावित किया है।"

3.34 विभाग द्वारा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शेष निधि का उपयोग करने की योजना के बारे में प्राप्त लिखित उत्तर में बताया गये है कि -

" विभाग में 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डीआईएलआरएमपी के अधीन विभिन्न घटकों में 1151 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और इन्हें पीएसएंडएमसी की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पीएसएंडएमसी के अनुमोदन के पश्चात निधियों की उपलब्धता के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाएंगी। "

(ङ) <u>अव्ययित धनराशि</u>

विवरण निम्नलिखित हैं:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अव्ययित शेष राशि	471.84	398.54	492.82	536.57*

**दिनांक 05.01.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल अव्ययित शेष राशि में वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किए गए 122.11 करोड़ रुपए शामिल हैं।

<u>डीआईएलआरएमपी के तहत कुल अव्ययित शेष राशि के राज्य-वार ब्यौरे</u> (10.01.2022 तक)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी निधियां**	**उपयोग की गई निधियां**	**उपलब्ध निधि**
1	आंध्र प्रदेश	17934.34	11043.37	6890.97
2	अरुणाचल प्रदेश	1230.94	850.67	380.27
3	असम	5400.455	4682.72	717.73
4	बिहार	11063.75	9973.64	1090.11
5	छत्तीसगढ	4452.415	3593.185	859.23
6	गुजरात	14404.27	14144.4	259.87
7	गोवा	584.07	398.55	185.52
8	हरियाणा	4144.65	2662.47	1482.18
9	हिमाचल प्रदेश	5608.01	2253.29	3354.72
10	जम्मू और कश्मीर	2701.639	1121.98	1579.65
11	झारखंड	8163.06	6733.53	1429.53
12	कर्नाटक	2451.2	0	2451.20
13	केरल	3298.05	2709.992	588.058
14	मध्य प्रदेश	17876.25	15212.98	2663.27
15	महाराष्ट्र	7745.356	4654.33	3091.02
16	मणिपुर	746.34	168.53	577.81
17	मेघालय	623.75	78.075	545.67
18	मिजोरम	2367.981	2134.792	233.184
19	नागालैंड	1547.621	1547.001	0.62

20	ओडिशा	12128.04	6599.89	5528.15
21	पंजाब	2796.263	2599.003	197.26
22	राजस्थान	19607.82	15086.11	4521.71
23	सिक्किम	1571.016	1546.216	24.80
24	तमिलनाडु	4562.57	3805.14	757.44
25	तेलंगाना	8385.21	265.85	8119.36
26	त्रिपुरा	2983.591	2445.52	538.07
27	उत्तर प्रदेश	4231.008	1365.415	2794.733
28	उत्तराखंड	4107.754	1945.734	2162.02
29	पश्चिम बंगाल	9526.32	9239.83	286.49
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	172.25	72.25	100.00
31	चंडीगढ़	89.2	69.6	19.6
32	दादरा एवं नगर हवेली	65.78	43.49	22.29
33	दिल्ली	132.07	132.07	0
34	दमन और दीव	103.72	94	9.72
35	लक्षद्वीप	216.41	158	58.41
36	पुदुचेरी	498.57	362.57	136
37	लद्दाख	0	0	0
	कुल=	183521.739	129794.193	53656.67

3.35 **भूमि संसाधन विभाग द्वारा भारी मात्रा में अव्ययित शेष राशियों के व्यय के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि: -**

" अव्ययित शेष राशियों के उपयोग से संबंधित मामले की राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से चर्चा की जा रही है और वीडियो कॉनफ्रेंसिस, पत्रों, ईमेल, इत्यादि के माध्यम से अनुवर्तन किया जा रहा है। त्रिपुरा (06.09.2018), जम्मू (13.02.2019), वदोदरा (26.02.2019), मणिपुर (05/06-08.2020) और जयपुर (24.01.2020) में क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी। दिनांक 03.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय समीक्षा, दिनांक 16.11.2021 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला और वीडियो कॉनफ्रेंसिस के माध्यम से अन्य बैठकें भी आयोजित की गई थी। इसे पत्रों, ईमेल, इत्यादि के माध्यम से संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव, एलआर स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी उठाया जा रहा है।"

(च) **भौतिक प्रगति**

विभाग ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित अपडेट रेखांकित किये:-

घटक वार प्रगति

क्र.सं.	घटक		कुल सं०	पूरी की गयी सं०	समापन का प्रतिशत (%)
1	भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	भूमि-अधिकारों के अभिलेख का कंप्यूटरीकरण **(ग्रामों की सं०)**	**6,56,149 (37)**	**6,10,103 (27)**	**92.98**
		भू-कर मानचित्रों का डिजिटीकरण (सं०)	**1,62,65,879 (37)**	**1,11,33,332 (21)**	**68.45**
		अधिकारों के अभिलेख (लिखित) और भूकर मानचित्रों (स्थानिक) का एकीकरण (ग्रामों की सं०)	**6,56,149 (37)**	**3,68,583 (07)**	**56.17**
2	रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण	उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) का कम्प्यूटरीकरण **(सं०)**	**5,223 (37)**	**4,884 (28)**	**93.51**
3	**भूमि अभिलेखों का एकीकरण** (आर ओ आर)	**भूमि अभिलेखों के साथ एस आर ओ को जोड़ना तथा एकीकरण (सं०)**	**5,223 (37)**	**3,936 (22)**	**75.36**
4	**आधुनिक अभिलेख कक्ष**	**आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना (सं०)**	**6,718**	**2,510**	**37.36**

3.36 साक्ष्य के दौरान सचिव ने बताया : **-**

"DILRMP के बारे में बताने में हमें हर्ष हो रहा हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का जो कम्प्यूटराइजेशन है, वह 93 परसेंट पूरे देश में हम लोगों ने कर लिया है। हमने 6 लाख 56 हजार गाँवों में से 6 लाख 10 हजार गाँवों का काम कर लिया है। मैप के डिजिटाइजेशन का जो काम है, वह हमने 1 करोड़ 62 लाख में से 1 करोड़ 11 लाख मैप्स का काम कर लिया है, हमने लगभग 68 प्रतिशत काम कर लिया है। गत वर्ष में लगभग 40-45 लाख मैप्स के डिजिटाइजेशन के काम को गति देकर किया है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एसआरओज़ का है, हमारे 5223 सब रजिस्ट्रार ऑफिस (एसआरओज) हैं, उनमें से 4884 का कम्पयूटराइज का काम कर लिया है लगभग 93 प्रतिशत काम कर लिया है। इसी तरह से इंटिग्रेशन ऑफ एसआरओज़, जो सब

रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसको राजस्व कार्यालयों से जोड़ने की बात है। हमने 5223 एसआरओज़ में से 3936 एसआरओज़ को इंटिग्रेड कर लिया है। हमने 75 प्रतिशत काम कर लिया है।
सर, कुछेक कम्पोनेंट हैं, जहां पर कमी है। मॉडर्न रिकार्ड रूम्स की स्थापना में मात्र 37 प्रतिशत काम हुआ है। हम 6718 में से 2510 ही हो पाए हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग सिविल वर्क में अपनी राशि नहीं देते हैं। स्टेट सिविल वर्क समय पर नहीं कर पाती है, जिस कारण से विलंब होता है।

(छ) चुनौतियाँ

3.37 विभाग ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में देश में डीआईएलआरएमपी के क्रियान्वयन में आ रही निम्नलिखित चुनौतियों के बारे में बताया-

(i) **पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक भूमि स्वामित्व**
(ii) **लम्बी आधान अवधि, भारी काम , समय लेने वाली प्रक्रियाएं (मानचित्रों का डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण आदि)**
(iii) **क्षमता निर्माण**
(iv) **राजस्व मानव संसाधन पर अधिक बोझ**
(v) **इन्टरनेट कोन्नेक्टीवीटी के मुद्दे विष्कार पूर्वोत्तर राज्यों में**
(vi) **भाषागत बाधाएं**
(vii) **अत्यिधल कुशल मानव संसाधन, विशेष रूप से आईटी / जीआईएस पेशेवरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता**
(viii) **विगत वर्षों में कोविड- 19 का सामान्य प्रभाव**

3.38 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में आ रही प्रमुख चुनौतियों के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया:-

" डीआईएलआरएमपी का कार्यान्वयन जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं वाला एक जटिल, संवेदनशील और भारी कार्य है। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों को पूरा करने की अवधि अन्य योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है।
डीआईएलआरएमपी के उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम होने के कारण, योजना की आरंभिक अवधि के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल की व्यवस्था करते समय और इसे अपनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने काफी अधिक समय लिया। अन्य कारण, जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया, दिनांक 31.03.2016 तक कार्यक्रम के अधीन यथा अपेक्षित राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसाधनो की कमी, उच्च कुशलता प्राप्त जन शक्ति की आवश्यकता और कार्यक्रम के कुछ घटकों में देरी/दरों में संशोधन न होना थे। वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान, मुख्य बल मूल रूप से पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को सैद्धान्तिक रूप से पूरा करने पर था, और तदनुसार, किसी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई। डीआईएलआरएमपी की अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 31.03.2017 से आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाते समय वित्त मंत्रालय ने वित्त पोषण की पद्धति को अग्रिम आधार से प्रतिपूर्ति आधार में बदल दिया था। तथापि, 30 प्रतिशत तक प्रारंभिक अग्रिम (केवल प्रथम किस्त के लिए) और इसके बाद की किस्त को केवल प्रतिपूर्ति आधार पर जारी करने की अनुमति दी गई थी। इस परिवर्तन के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बहुत कम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे स्कीम के तहत इसकी वास्तविक प्रगति और वित्तीय प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लंबे प्रयासों के पश्चात, व्यय विभाग ने दिनांक 03.01.2020 से, विभिन्न मुख्य घटकों, जैसे सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

(पीएमयू), और कोर जीआईएस घटक को पुनः आरंभ करने के साथ-साथ वित्त पोषण पद्धति को अग्रिम आधार में पुनः आरंभ किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मणिपुर (आंशिक), भूमि के सामुदायिक स्वामित्व और सरकार के पास भूमि अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ घटकों को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं। यह भूमि सामुदायिक गांव के प्रधान द्वारा कृषकों को शिफ्टिंग कृषि (झूम) करने के लिए दी जाती है। कोविड 19 महामारी ने भी पूरे भारत में डीआईएलआरएमपी की प्रगति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। **"**

3.39 भूमि संसाधन विभाग के समक्ष चुनौतियों और बाधाओं, निधियों की आवश्यकता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे, और इसके संवर्धन की आवश्यकता के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि;

"ईएफसी द्वारा 2025-26 तक डीआईएलआरएमपी के सतत कार्यान्वयन के लिए 875 करोड़ रु. की राशि की सिफारिश की गई, जिसे दिनांक 20.12.2021 को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। स्कीम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 564 जिलों में एक या एक से अधिक घटकों को स्वीकृत किया गया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग/एजेंसियों द्वारा विभिन्न घटकों/कार्यकलापों का संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार और डीआईएलआरएमपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में, कार्यान्वयन किया जा रहा है। डीआईएलआरएमपी की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 31.03.2017 से आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाते समय, वित्त मंत्रालय ने यह सूचित किया था कि वित्त पोषण की पद्धति को अग्रिम आधार से प्रतिपूर्ति आधार में बदल लिया गया है। तथापि, 30 प्रतिशत तक प्रारंभिक अग्रिम (वर्ष 2018-19 के दौरान केवल प्रथम किश्त के लिए) और इसके बाद की किश्त को केवल प्रतिपूर्ति आधार पर जारी करने की अनुमति दी गई थी। इस परिवर्तन के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बहुत कम प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिससे स्कीम के तहत निधियां जारी करने पर प्रभाव पड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप प्रगति धीमी हुई है। यह कार्यक्रम मांग प्रेरित है और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन की गति पर निर्भर है। इसके अलावा, राज्य द्वारा यथा सूचित अधिकतर अप्रयुक्त निधियां सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण से संबंधित है जिसमें प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग होता है और इसके लिए काफी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। तथापि, व्यय विभाग ने वित्त पोषण पद्धति को प्रतिपूर्ति आधार से अग्रिम आधार में पुनः प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है तथा विभिन्न घटकों, जैसे कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और कोर जीआईएस, को 03.01.2020 से पुनः आरंभ करने का भी अनुमोदन किया है। उसके बाद, डीआईएलआरएमपी के अधीन पर्याप्त राशि जारी की गई और इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों अर्थात् अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) का कम्प्यूटरीकरण, रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण, उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों और तहसीलों के बीच संयोजकता तथा रजिस्ट्रीकरण और भूमि अभिलेखों के एकीकरण में पर्याप्त प्रगति हुई है।."

(ज) <u>आमजन के लाभ के लिए भूमि अभिलेखों को अन्य दस्तावेजों से जोड़ना</u>

डीओएलआर ने कुछ नई पहलें शुरू की है जिसके उद्देश्य और प्रगति निम्न प्रकार हैं:-

पहल	उद्देश्य	प्रगति
एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआई	किसी भूखंड की निष्पक्ष और व्यापक स्थिति बताने के लिए प्रासंगिक सूचना तक एक नजर में पहुंच के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो प्लेटफार्म प्रदान करना**:** **-** भू- स्वामी	

एमएस)	- सम्बंधित कार्यालय/ एजेंसियां - इच्छुक व्यक्ति/ उद्यमी आदि उप पंजीयक कार्यालय में भूमि के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण के साथ ही तहसील में न्यायालय विवरण के साथ नामांतरण हेतु तत्काल सूचना एवं आधार एकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में बैंक सेवाओं हेतु : **(i)** सम्पत्ति पंजीकरण **(ii)** बक ऋण **(iii)** उर्वरक सब्सिडी **(iv)** एफसीआई प्रापण **(v)** फसल बीमा **(vi)** आपदा राहत **(vii)** पीएम किसान सम्मान निधि और **(viii)** आयकर	
विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यू एल पी आई एन)	यूएलपीआईएन भूखंड के लिए 14 अंकों की एल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या है **भू - संदर्भित भूकर मानचित्र एक पूर्वापेक्षा है।** **किसी भूखंड के बंटवारे पर एक नई विशिष्ट पहचान संख्या निर्धारित की जाती है।**	**13 राज्यों/ संघों में लागू- आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात , राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर** **6 और राज्यों/ संघों में प्रायोगिक अप्रिस्खन किया जा रहा है - आसाम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दादरा नगर हवेली, और तमिलनाडु**
राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)	**'एक राष्ट्र- एक सॉफ्टवेयर' की दिशा में राष्ट्रीय नवाचार दस्तावेजों और विलेखों के रजिस्ट्री करण की अवाश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सर्वमान्य जेनेरिक और संरूपण - योग्य सॉफ्टवेयर** **नागरिक, संपत्ति मूल्यांकन मोड्यूल की सहायता से स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रीकरण शुल्क तथा अन्य लागू शुल्कों की गणना करने में समर्थ** **दस्तवेज रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व नियोजित अपॉइंटमेंट्स** **ओपन सोर्स प्लेटफोर्म पर विकसित, स्वामित्व सॉफ्टवेयर की कम लागत** **up रजिस्ट्रार कार्यालय के दौरों में कमी** **पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी**	**12 राज्यों/ संघों में लागू: पंजाब, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, डरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा**

(छ) नए घटक

3.40 डीओएलआर ने समिति के समक्ष अपनी पावर-प्वाइंट प्रस्तुति में निम्नलिखित नए घटकों का उल्लेख किया है:-

(i) **राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण**
(ii) **भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ आधार संख्या का सहमति आधारित एकीकरण**

इस बारे में विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान विस्तार पूर्वक बताया कि:

"सर, हम लोगों ने एजेंडा रखा है कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैं मेनली बॉटलनेक्स और स्पेशल इनीशिएटिव्स पर चर्चा करूंगा जो कि इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने काफी विस्तार से इसे रखा है और काफी कवरेज हुआ है। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इसे क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है और उसका आम लोगों को क्या फायदा होगा? माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे थे, उसका काफी हद तक इससे जवाब हो जाएगा। इस स्कीम की इंपोर्टेंटस इसी से पता लगाई जा सकती है कि यह स्कीम पहले सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम हुआ करती थी, जिसको अक्टूबर, 2015 में सेंट्रल सैक्टर स्कीम में कनवर्ट करके 1.1.2016 से इसको शत-प्रतिशत फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया है। इसमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे लैंड रिकार्ड्स को हैंडल करने वाले 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, सर्विस सैटलमेंट, रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन, बैंक्स, कोर्ट्स, कोर्ट्स में भी राजस्व कोर्ट और सिविलकोर्ट, इतने अथॉरिटी, न्यायालय और कार्यालय मिलकर लैंड के टाइटल और लैंड के डिसप्यूट्स को डिसाइड करते हैं। अभी कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदने की इच्छा करता है या जमीन में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, जानकारी लेना चाहता है, तो इन 6 कार्यालयों में अब से पूर्व में जाना पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक इनीशिएटिव लिया कि आम लोगों को 6 जगह, 6 कार्यालयों में चक्कर नहीं लगा पड़ें, उनको एक ही जगह पर सारी सूचनाएं मिल जाएं। उसके लिए डिजिटल इनीशिएटिव को इसमें महत्व दिया गया । मुझे बताते हुए खुशी है कि इस कार्यक्रम को 2015 मेंडिजिटल इंडिया के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। उसमें यह कांप्रि हैं सिव प्रोग्राम चलाया गया कि जितने भी हमारे लैंड रिकार्ड के 6 कार्यालय हैं, इनमें जितनी भी जमीन से संबंधित सूचनाएं हैं, उनमें आदान-प्रदान आसानी से हो जाए। आदमी को एक ही पोर्टल पर, आदमी जिस भी जमीन में इंट्रेस्टेड है, एक ही पोर्टल पर सारी सूचनाएं उसे मिल जाएं। यह इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गया हैं,

3.41 उन्होंने आगे बताया:

इसका मेन उद्देश्य यह रहा है कि हम लोगों ने सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को केंद्र बिंदु रखा है कि आम लोगों की क्या परेशानियां हैं और उसके हिसाब से इसके घटकों में बदलाव किया है। हम किस प्रकार लोगों के जमीनों के डिस्प्यूट्स कम कर सकें, किस प्रकार लोगों को कम से कम नंबर में कार्यालय में चक्कर लगाएं, तो जमीन का वह लेन-देन कर सकता है, जमीन की जानकारी घर बैठे कैसे एक्सेज़ कर सकता है और हर आदमी को अपनी जमीन की जानकारी कम से कम उसे हो जाए। इन चीजों को ध्यान में रखकर हमने बहुत सारे घटकों के अंदर काम किए हैं। प्रोग्राम के बाहर भी हमने इनीशिएटिव्स लिए हैं। अभी उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। इसको भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है, बेस्ट डिजिटल इनीशिएटिव के रूप में उसको 2020-21 में अवार्ड किया है। इसमें आठ कंपोनेंट पहले थे। अब डिजिटाइज कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, लेकिन आज से दो साल पहले तक यह स्थिति थी, मैं यह पता लगाने में असमर्थ था, ऐज ए सरकार का प्रतिनिधि या ऐज ए जनरल आदमी, हर एक आदमी का आप जानते होंगे कि 2011 के

पहले प्रॉपर्टी इंडीविजुअल प्राइवेट इन फॉर्मेशन हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद यह काफी डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा। इसमें कहा गया कि हर एक की सम्पत्ति के बारे में हर एक को जानने का अधिकार है। मैं जब 2011-12 में बिहार राज्य का सेक्रेटरी था, तो वहां यह डिबेट चल रही थी कि आप पब्लिक डोमेन में इस सूचना को नहीं डाल सकते हैं। इसे भारत सरकार को रेफर किया गया। फाइनली यह कहा गया कि मेरे पास कितनी जमीन है, बेनामी है या सही है या मैंने लीगली ऑक्यूपाई की है या नहीं, यह हर एक आदमी को जानने का अधिकार है। इसके तहत यह हुआ है कि हर एक चीज को हम पोर्टल में डालेंगे और उसका ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक आदमी को करेंगे। दो साल पहले तक यह पता नहीं रहता था कि मेरे पास इंडिया में कहां प्रॉपर्टी है? एक गांव में है, वह मैं पता लगा सकता हूं कंप्यूटराइजेशन से, लेकिन मान लीजिए राजस्थान में प्रॉपर्टी है, बिहार में है और दिल्ली में प्रॉपर्टी है, तो मेरे लिए यह पता लगा नेक्स्ट टू इंपॉसिबल था। लैंड रिफॉर्म्स के तीन पिलर्स हैं, लैंड सीलिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, इनमें किसी तरह से कामयाबी नहीं मिल रही थी। हम लोग सरकार के पास 2021-22 में गए और उसमें दो कंपोनेंट और जोड़े। हमने आधार से प्रॉपर्टी को लिंक कराया। जब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को लिंक कर देंगे, यह मेरे लिए संभव है और दो राज्यों में हमने किया है, वैसे तो 16 राज्यों में किया है, लेकिन 2 राज्यों में कंपलीट है। आप केवल आधार नंबर उस आदमी का डालिए और उस आदमी का डालिए, इंडिया में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी होगी, सारा वह इससे निकल जाएगा।

3.42 भुलेख को कोर्ट के मामलों से जोड़ने के मुद्दे पर एक प्रतिनिधि ने बताया **:**

सचिव महोदय ने बताया, जितने भी विवाद चल रहे हैं, उसमें 60-70 परसेंट केवल भूमि विवाद से संबंधित है। लास्ट दिसम्बर तक तीन करोड़ ग्यारह लाख विवाद थे, अब और बढ़ गए होंगे। आप समझ सकते हैं कि इसका डाइमेन्शन कितना ज्यादा है। यदि हमने इस प्रोग्राम के तहत इसे एड्रेस नहीं किया। 70 परसेंट भूमि विवाद में से केवल सीमा के ज्ञान को लेकर है। हरेक आदमी अब एक इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहता, वह कहता है कि मेरा जमीन इधर है और दूसरा कहता है कि मेरा इधर है। उसमें दोनों में विवाद हुआ और तीसरे आदमी को अफेक्ट किया।

3.43 उन्होंने आगे भी जोड़ा कि :-

इन दो चीजों को केन्द्र बिन्दु में रखकर 2021-22 में सरकार के पास गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गए। हमने इसमें दो महत्वपूर्ण कम्पोनेंट जोड़े हैं। एक आधार, एक कोर्ट और बैंक का लिंक, कोर्ट को कम्प्यूटराइज्ड करके उसको लिंक करेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी सचिव महोदय के दिशा निर्देश में नवम्बर-दिसम्बर में मिली। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम अपने डाटा बेस में घुसने नहीं देंगे, कुछ कारण से उनको प्रोबल्म हो जाए। हमने बार-बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, कितने विवाद देश में चल रहे हैं। राजस्व का हम कर देंगे लेकिन सिविल कोर्ट में ज्यादा विवाद है। अब हम लोगों को अनुमति दे दी है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 16 राज्यों ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। शायद इस वित्तीय वर्ष या जून के पहले-पहले जितने भी सिविल न्यायालय में 16 राज्यों में केस चल रहे हैं। जब किसी प्लॉट को डालेंगे तो यह निकल जाएगा कि इस प्लॉट पर फलां न्यायालय में फलां टाइटल में फलां सेक्शन में केस चल रहा है।

3.44 विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) के बारे में प्रतिनिधि ने समिति को बताया:

हमने स्पेशल इनीशिएटिव लिए हैं। मैं आपको अलपिन के बारे में बता रहा हूं। जैसे आदमी का आधार होता है, इसी तरह से इसे भूआधार मान सकते हैं। टेक्नीकली हमने इसे जनरेट

किया है। यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। वर्ष 2011 में मैप करवाया था तब बिहार में 8500 विवाद थे, जिनमें 6800 विवाद केवल सीमांकन के थे। अलपिन में कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स होते हैं, जो अक्षांतर और देशांतर के आधार पर जनरेट होते हैं। जिसका अलपिन जनरेट हो गया तो इससे संभव हो जाता है क िपांच साल बाद भी खेत के चारों कोनों के अक्षांतर और देशांतर निकाल सकते हैं। इसके लिए इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं जो एग्जैक्ट बतातेहैं कि कोना कहां तक है। जहां इसे लागू किया है, वहां लैंड डिस्प्यूट्स में काफी कमी आई है। मेरी परसेप्शन है, आज से तीन साल बाद कोई आदमी सर्वे नंबर और प्लाट नंबर याद नहीं रखेगा क्योंकि अगर चार गांवों में जमीन है तो चार तरह के प्लाट और सर्वे नंबर कॉमन हो जाते हैं, उसे सिर्फ अलपिन याद रखना है। अलपिन केवल एग्रीकल्चर जमीन के लिए नहीं है, शहरों में फ्लैट्स के लिए भी है। चाहे गांव में जमीन हो या शहर में हो, यह सबके लिए लागू होगा। अभी तक हमने 13 राज्यों में कम्पलीट कर लिया है, 6 में तैयार है। माननीय मंत्री जी से समय लेकर इसे लांच करा देंगे। यह फुल प्रूफ सिस्टम है, इसके बाद कोई सीमा विवाद नहीं हो सकता ।

3.45 एनजीडीआरएस पर उन्होंने समिति को बताया :

एनजीडीआरएस पहले डिसकस हो चुका है। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, पूरी इंडिया का एक सॉफ्टवेयर बनाया है।अगर हम मालूम करना चाहें कि कितनी एग्रीकल्चर जमीन इंडस्ट्री के लिए डाइवर्ट हुई है, तो कर सकते हैं। हमारे पास यह बहुत अच्छा हथियार आ गयाहै।

पुणे में डेडिकेटिड टीम है जो इसे देख रही है। वर्क फ्लो में तीन पिल्लर हैं – रजिस्ट्री ऑफिस, तहसील ऑफिस और आदमी। वह डॉक्युमेंट भेजता है, सब-रजिस्टार जांच करता है और वह कहता है कि ठीक है तो एसएमएस और ईमेल आता है और उसके बाद 10-15 मिनट में रजिस्ट्री करनी होती है। इसमें सर्वर का इश्यू है, हम इसे एड्रैस कर रहे हैं। इवैल्युएशन से पता चला है कि सर्वर की स्पीड स्लो होने के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए हम इसमें हाईस्पीड लाने की कोशिश कर रहे हैं।

3.46 साक्ष्य के दौरान समिति ने यह जानना चाहा कि लम्बे अदालती मुकदमों के कारण समय बीतने के साथ मिट जाने वाली 'गट्स' जैसी स्पष्ट सीमाओं के अभाव में मैप की गई भूमि पर अतिक्रमण का फैसला कौन करेगा और अगर यह तय हो जाता है कि अदालत मूल्यांकन के लिए इसे फिर से स्थानीय पटवारी को वापस भेजता है डीओएलआर के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया:

सर, आपका बहुत वैलिड क्वैश्चन है। मैं पहले क्वैश्चन से वर्ष 2011 में जूझ चुका हूं। मैं आपको बिल्कुल तर्क संगत उत्तर देना चाहूंगा। आपने सही बताया कि मैप में जियो रेफरेंस है, लेकिन ग्राउंड पर एन्क्रॉचमेंट कर रखा है। यह ह्यूमेन टेंडेंसी है। जैसे मैं यहां रह रहा हूं, मेरा भाई वहां खेती रहा है, तो वह मेरे हिस्से में से 2-3 डिसमिल कब्जा कर लेगा। हम जब भी उसको बताएंगे तो विवाद घटने के बजाय बढ़ जाएगा। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि उस विवाद को सुलझाने का अधिकार किस का रहेगा?

मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य बिहार से आते हैं, ये भी जानते होंगे। वर्ष 2011 में जब मैं सचिव था, तो मैंने एक अटेम्प्ट लिया था। उसके कारण मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन, फाइनली मैं उससे बाहर निकल आया था। हम लोगों ने बिहार लैंड डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन एक्ट, 2011 बनाया था। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट तक उसका कॉन्टेस्ट हुआ था और मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करने में सक्षम था। जो डिस्प्यूट रेवेन्यू एक्ट के कारण क्रिएट होता है, उसका अधिकार रेवेन्यू ऑफिसर को

होगा। वह सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। सिवलि कोर्ट में केवल कॉम्पलेक्स नेचर ऑफ टाइटल जाएगा। कॉप्लेक्स नेचर ऑफ टाइटल क्या होता है? यद ि मैंने रजिस्ट्री की है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट से क्रिएट होता है। किसी और ने भी सेम जमीन की रजिस्ट्री कर दी, तो ऐसे विवाद सिविल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन, यदि मेरी केवल सीमा की बाउंड्री, जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रेकॉर्ड एक्ट के कारण होता है कि मेरी सीमा यह होनी चाहिए, लेकिन अंतराल में वह फिक्स है, वह ऊपर से ही फिक्स किया हुआ है, उसका लांगिट्यूड और लैटिट्यूड फिक्स है। उसमें कोई विवाद नहीं है। यह केवल मेरी टेंडेंसी है कि वह आदमी कमजोर है, हमने उसका फायदा उठाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो ये रेवेन्यू एक्ट के एक्शन से ही क्रिएट हो रहे हैं। उसके लिए तहसीलदार को छ: महीने का समय दिया जाता है। छ: महीने के बाद उसमें पेनॉल्टी का प्रावधान है। उसकी अपील कमिश्नर के यहां होगी, कलेक्टर के यहां नहीं होगी। उसके लिए छ: महीने का समय दिया गया है। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। उसमें भी तीन महीने का समय निश्चित होता है। यानी, कुल 15 महीने में उसको फाइनल कर देना है। उसके बाद, वह कहीं नहीं जाएगा।

3.47 समिति ने यह भी रेखांकित किया कि 2 एकड़ से अधिक भूमि की बिक्री पर रोक के कारण परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बेचने में असमर्थ हैं । इस पर प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि: -

"महोदय, आपने दो एकड़ वाला एक प्रश्न पूछा था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब बेसिकली चार लैंड रिफॉर्म्स थे। उसमें यह था कि जमीन आगे विभाजित न हो, तो ही किसान खेती कर पाएगा, तो प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट है। यह हर राज्य में है। उसकी सीमा बंधी हुई है। बिहार में हमने इसको खत्म कर दिया है, राजस्थान में भी इसको खत्म कर दिया है। कुछ और राज्यों ने भी किया है, गुजरात में भी खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा है। वहां पर परेशानी है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दो एकड़ में 50 परिवार हैं और ज्वाइंट खाता चल रहा है। वे न तो उसको बेच सकते हैं और न की कोई व्यापार कर सकते हैं और न ही उसका बंटवारा हो सकता है। आपकी यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप चाहेंगे तो हम एडवाइजरी दे देंगे, जो कि हमारा अधिकार है।

3.48 इस बारे में कानून में संशोधन की सम्भावना पूछे जाने पर साक्षीने समिति को बताया:

"महोदय, कुछ राज्यों ने अच्छे काम किए हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान ने किया है, हम उनका उदाहरण दे देंगे। हम एडवाइजरी जारी कर देंगे। हमें एडवाइजरी का अधिकार है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट है, वह कन्करेंट में भी नहीं आता है। हम रजिस्ट्रेशन में कह सकते हैं, डॉयरेक्शन दे सकते हैं, लैंड एक्विजिशन में डॉयरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जहां लैंड रिफॉर्म्स आता है, वह राज्य का विषय हो जाता है, हम सिर्फ एडवाइजरी दे सकते हैं। उनको अच्छी प्रैक्टिस बता सकते हैं कि गुजरात में ऐसा हुआ है, आप भी करके देख लीजिए। आपने रास्ता वाला बताया है। वह बिल्कुल सिविल न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। इसके दो तरीके हैं। 133 और इंडियन ईज्मेंट्स एक्ट है, इसमें एसडीओ को पावर होती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं। यदि किसी के खेत में से रास्ता बन गया है, एक या दो साल तक अनवरत लोग जाते रहे हैं, तो बाद में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। यह अधिकार राज्यों के एसडीओ को है। आजकल के एसडीओ को ज्यादातर पता भी नहीं रहता है कि उनके पास यह अधिकार है, लेकिन रास्ता का बहुत क्लियर है।

3.49 समिति ने यह भी चिन्हित किया कि कुछ मामलों में, ऐसा होता है कि भूमि की रजिस्ट्री के बाद नाम रिकॉर्ड में नहीं बदला जाता है, परिणामस्वरूप भूमि की दूसरी रजिस्ट्री हो जाती है, विभाग के साक्षी ने स्पष्ट किया:-

> महोदय, हम मार्च माह तक सभी राज्यों में कर लेंगे। यह व्यवस्था 16 राज्यों में लागू है, आप जिस दिन रजिस्ट्री करेंगे, 5 मिनट के अंदर तहसीलदार के यहां वह रजिस्ट्री ऑनलाइन चली जाएगी, फिजिकली नहीं जाना है। उस दिन से उसके म्युटेशन का समय स्टार्ट हो जाता है। वह नोटिस जारी कर देगा, 15, 16 या 18 दिनों के भीतर अपने आप म्युटेशन हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह महाराष्ट्र में भी है । अगर कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए। हम भी केस स्टडी कर लेंगे। अगर वे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र और 16 राज्यों में है।

(झ) वन क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की समस्या का समाधान

3.50 साक्ष्य के दौरान, वन भूमि में स्थित गांवों को राजस्व गांवों का दर्जा देने का मुद्दा विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में समिति के सामने आया। इस पर साक्षी ने समझाया:

> **"सर, इसमें दिशा-निर्देश बहुत क्लीयर हैं। यदि एफआरए एक्ट और पेसा एक्ट में उनको पट्टा मिल गया है तो उनका रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है..... सर, हम इसके लिए राज्यों को लिख देंगे"**

3.51 इस संदर्भ में, समिति ने वन भूमि में ग्रामीणों के लिए पट्टों पर दी गई भूमि की गैर-अधिसूचना के मुद्दे को इंगित किया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से नजूल भूमि, मध्य प्रदेश में प्रमुख बाघ अभयारण्यों के साथ वन भूमि में कोई विकास नहीं होता है। इस पर साक्षी ने समझाया:

> "मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उनके प्रश्न एक से लेकर प्रश्न पांच तक एक ही विषय से रिलेटिड हैं। ये प्रश्न अपडेशन वह लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं। जो सर्वे-रीसर्वेकंपोनेंट होता है, उसमें जो आज की स्थिति है , उसको मैप करना, उसको अपग्रेड करना, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर मध्य प्रदेश को 200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है। उन्होंने काम चालू कर दिया है। मुझे आशा है कि जो भी वास्तविक स्थिति है, उसे वह दो-तीन साल में अपडेट कर लेंगे।"

3.52 समिति ने यह भी बताया कि एक रेल परियोजना के घोषित होने के बाद क्षेत्र के चारों ओर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होता है, जिस पर अतिक्रमित भूमि का अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा होती है। ऐसे मामलों पर उचित कदम उठाने के सुझाव पर साक्षी ने बताया:

> "सर, आपके प्रश्न नंबर चार में आपने कहा है कि जब भी कंपेसेशन के लिए लैंड एक्विज़िशन होती है, कुछ माफिया एक्टिव हो जाते हैं। पहले वाले एक्ट में यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान जो नया एक्ट है, वह 01.01.2014 से लागू हुआ है, उसके सैक्शन 11(5) में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जब प्रिलिम्नरी नोटिफिकेशन होगा तो वि दिन दो महीने में कलेक्टर को तहसीलदार के द्वारा उसकी अद्यतन माप करवाकर, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी

करवानी है। उसके बाद उसका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है। वह उसके बाद घर बना ले तो उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा। जो वर्तमान एक्ट है, उसमें यह संभावना बहुत कम है। सर, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने रेवेन्यु में ही ज्यादातर काम किया है कि यह पहले वाले एक्ट में होता था। इसीलिए अब यह प्रावधान किया है कि जैसे ही आप आरएफसीटीआरएक्ट के सैक्शन 11 में प्रारम्भिक नोटिफिकेशन करते हैं, उसके सैक्शन 5 में यह है कि दो महीने में आपको लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना है।

कई बार यह भी होता है कि कॉमर्शियल यूज में कन्वर्जन कर लिया है, लेकिन एग्रीकल्चर ही रिकॉर्डेड है। इसकी दोनों ही साइड हैं। अब नए वाले में यह संभावना बिल्कुल कम है।"

भाग- दो
सिफारिशें/टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2259.34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करते हुए भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) की अनुदानों की मांगों (2022-23) को 08.02.2022 को सभा पटल पर रखा गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-22) ने इसकी जांच की है। अनुदानों की मांगों (2022-23) के विश्लेषण के आधार पर की गई टिप्पणियों/सिफारिशों की आगामी पैराग्राफों में सूचीबद्ध किया गया है:

संशोधित अनुमान चरण में बजट को कम करने की आलोचना

भूमि संसाधन विभाग का बजट मुख्य रूप से पनधारा विकास घटक की दो प्रमुख योजनाओं - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के लिए समर्पित है जिनका व्यापक उद्देश्य पनधारा विकास और भूमि संबंधी विवादों जो वर्तमान समय में आम बात है, को कम करके, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने का है। इस संदर्भ में, समिति नोट करती है कि वर्ष दर वर्ष, आरई स्तर पर डीओएलआर के बजट में कमी हुई है जो दोषपूर्ण बजटीय आयोजना को दर्शाता है। अनुदानों की मांगों से, यह देखा जा सकता है कि बीई (2019-20), (2020-21) और (2021-22) की तुलना में क्रमश: 2227.24 करोड़ रुपए, 2251.25 करोड़ रुपए और 2170.42 करोड़ रुपए को, इसी वर्ष के संशोधित अनुमान चरण में घटाकर क्रमश: 1900.00 करोड़ रुपए, 1252.15 करोड़ रुपए और 1484.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति का यह दृढ़ मत है कि आरई स्तर में बजटीय राशि में भारी कटौती किया जाना वित्त मंत्रालय की ओर से शुभ संकेत नहीं है, विशेषकर तब जब डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई और डीआईएलआरएमपी दोनों कार्यक्रम लोकोन्मुखी, विकास केंद्रित और भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य रखते हों। समिति सिफारिश करती है कि डीओएलआर समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराए कि वह आरई स्तर पर राशि में कटौती न करे, विशेषकर जब इन दोनों कार्यक्रमों ने उक्त क्षेत्रों में परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। बल्कि समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 2259.34 करोड़ रूपये के प्रस्तावित बजट को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो इस शीर्ष के तहत आरई स्तर पर बजटीय राशि में वृद्धि की जा सकती है। **(सिफारिश क्रम संख्या 1)**

प्रमुख डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई और डीआईएलआरएमपी के लिए निधियों में कमी के व्यापक प्रभाव की निंदा

समिति इस बात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है कि डीओएलआर की बजटीय राशि में कमी ने गत तीन वर्षों के दौरान दो डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई और डीआईएलआरएमपी कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित किया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के संबंध में, वर्ष (2019-20), (2020-21) और (2021-22) के दौरान क्रमश: 2,066 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित बीई की तुलना में, इसी वर्ष के दौरान 1732.00 करोड़ रुपये,

1000.00 करोड़ रुपये और 1216.00 करोड़ रुपये की कम राशि का प्रावधान किया गया था। इसी तरह, डीआईएलआरएमपी के तहत, 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 250 करोड़ रुपये और 150 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में, इसे आरई स्तर पर घटाकर 145 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, एक अपवाद के रूप में, समिति ने पाया कि डीआईएलआरएमपी के तहत 2021-22 के दौरान, बजटीय राशि का महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है। समिति ने दो डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई और डीआईएलआरएमपी कार्यक्रमों में से प्रत्येक के अन्तर्गत बजट अनुमानों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय की निंदा की और नोटिस किया कि 2021-22 के लिए निधि मंजूर करने में विलंब के कारण व्यय कम हुआ है। इसलिए, समिति डीओएलआर से दोनों कार्यक्रमों में से प्रत्येक के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध निधि का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश करती है ताकि वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित शीर्ष के तहत प्रस्तावित बीई का परिणाम गत वर्षों के अनुभव के समान न हो। **(सिफारिश क्रम संख्या 2)**

<u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष की आलोचना की गई और डीओएलआर ने कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे समाप्त करने को कहा</u>

समिति इस बात से निराश है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 का प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन के साथ पनधारा गतिविधियों के माध्यम से परती भूमि या वर्षा सिंचित भूमि के विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार करना है, यह 2019-20 में 2254.73 करोड़ रुपये, 2020-21 में 1832.85 करोड़ रुपये और 2021-22 में (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) 1324.88 करोड़ रुपये के बड़े अव्ययित शेष (जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा आदि शामिल है) से ग्रस्त है। इस संदर्भ में, समिति को विवश होकर नोट करना पड़ रहा है कि 08.02.2022 को महाराष्ट्र (399.10 करोड़ रुपये), झारखंड (117.47 करोड़ रुपये), गुजरात (88.22 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (69.70 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (6.83 करोड़ रुपये) आदि जैसे प्रमुख राज्यों के पास राज्य-वार कुल 1200.02 करोड़ रुपये की निधि अव्ययित पड़ी है। समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान राशि जारी करने में विलंब और जून-सितंबर, 2021 में भारी वर्षा आदि को अव्ययित राशि के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। समिति ने पाया कि चूंकि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-2.0 को दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ शुरू किया गया है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से लोगों का कार्यक्रम बनाने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा निधि का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि इसकी सफलता बहुत आवश्यक है; विशेष रूप से जब डीओएलआर 97 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित/परती भूमि में से केवल 29 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कवर करने में सक्षम रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान और 20 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। **(सिफारिश क्रम संख्या 3)**

<u>देश भर में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की गई</u>

समिति को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि 31 मार्च, 2021 को पीएमकेएसवाई 1.0 की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, डीओएलआर द्वारा वित्त-पोषित की जा रही 6382 परियोजनाओं में से केवल 4392 परियोजनाएं (75.09 प्रतिशत) पूरी की गई हैं, 409 परियोजनाएं समेकन चरण में हैं (6.41 प्रतिशत) और 1181 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसलिए, समिति को मजबूर होकर नोट करना पड़ रहा है कि डीओएलआर द्वारा 31 जनवरी, 2022 तक अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में प्रस्तुत किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि 5243 (82.15 प्रतिशत) पूर्ण परियोजनाएं, 245 (3.84 प्रतिशत) परियोजनाएं समेकन में और 894 (14 प्रतिशत) कार्य चरणों में हैं के प्रगति विवरण में शायद ही कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाया गया है।

समिति के सामने साक्ष्य के दौरान, सचिव, डीओएलआर 31 मार्च, 2022 तक 880-890 परियोजनाओं को पूरा करने के प्रति आशावादी थे। समिति इस तथ्य पर गहरा असंतोष व्यक्त करती है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की समय सीमा की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में परियोजनाएं लंबित हैं जो दर्शाता है कि यह डीओएलआर द्वारा समग्र निगरानी का कार्य अच्छे से नहीं किा गया है। इस प्रकार समिति इन परियोजनाओं को विस्तारित समय सीमा के भीतर युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए डीओएलआर से आग्रह करती है। **(सिफारिश क्रम संख्या 4)**

<u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के दृष्टिकोण में परिवर्तन का स्वागत किया गया और डीओएलआर ने समयबद्ध कार्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को कहा</u>

समिति आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, नागालैंड, तमिलनाडु और केरल को 2021-22 से 2025-26 तक आगामी पांच वर्षों के दौरान 20 मिलियन हेक्टेयर परती/वर्षा सिंचित भूमि को कवर करने के लिए किए गए अंतिम मूल्यांकन का अध्ययन करने के बाद प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, स्थिरता, प्रभाव और समानता के छह मानकों पर नीति आयोग मूल्यांकन के आधार पर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में परिवर्तन का स्वागत करती है। यह 8134 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ किया जाना है, भारत सरकार ने 15 दिसंबर, 2021 को पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था पर जोर देने के साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2 के दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ भूमि के इंजीनियरिंग उपचार से जैविक उपाय की ओर बढ़ने, कृषि संस्थानों जैसे किसान उपज संगठनों (एफपीओ) आदि से जोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) द्वारा बागवानी, मत्स्य पालन आदि के साथ वाटरशेड के विविधीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। समिति स्वागत करती है कि 50 प्रतिशत जल निकायों, जो हिमालय और पूर्वी/पश्चिमी घाट क्षेत्रों में सूख चुके हैं, को पुनर्जीवित करने के लिए स्प्रिंग-शेड जैसे कार्यकलाप किए जा रहे हैं। समिति सिफारिश करती है कि डीओएलआर द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू करने लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए ताकि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के स्पष्ट

उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना केवल कागजों पर ही न रहे। **(सिफारिश क्रमांक 5)**

<u>नीति आयोग का नवाचार और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में स्थानीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी</u>

समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नीति आयोग ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के प्रभाव पर अंतरिम रिपोर्ट में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष निकाले हैं, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में वर्षा जल संचयन को महत्व देना, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार का सृजन और सृष्टि और दृष्टि ऐप और भुवन पोर्टल आदि के माध्यम से रिमोट सेंसिंग द्वारा उनकी निगरानी शामिल है। इन निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि लागत मानदंड मैदानी क्षेत्र हेतु 22000 रुपये के स्तर से बढ़ाकर 25000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 28000 रुपये से बढ़ाकर 30000 प्रति हेक्टेयर कर दी जाए, एफपीओ के साथ एकीकरण, मनरेगा के साथ अभिसरण की आवश्यकता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि। इसलिए, समिति नीति आयोग के निष्कर्षों के साथ स्पष्ट रूप से सहमत है और डीओएलआर से उनका उपयोग योजना की बेहतरी के लिए करने का अनुरोध करती है। इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि योजना और कार्यान्वयन चरण में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में स्थानीय संसद सदस्यों की भूमिका सुनिश्चित की जाए ताकि उनके बहुमूल्य सुझावों को जमीनी स्तर पर तैयार की गई डीपीआर में शामिल किया जा सके और दिशा की आवधिक बैठकों में उनकी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। **(सिफारिश क्रम संख्या 6)**

<u>उच्च डीआईएलआरएमपी निधि की सिफारिश</u>

समिति को मजबूर होकर नोट करना पड़ रहा है कि 1 अप्रैल, 2016 से मार्च, 2026 तक दस वर्षों की कार्य अवधि में डीआईएलआरएमपी की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 2017-18 में 100 करोड़ रुपये से 2022-23 में 250.00 करोड़ रुपये की बहुत कम निधि मिल रही है। इन निधियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए किया जाता है जैसे आम आदमी के लिए आसान पहुंच के लिए भूमि अभिलेख को डिजिटल बनाना, भूमि विवादों को कम करना जो कुल न्यायालय विवादों का 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत है, धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन को रोकना, संपत्ति पंजीकरण, बैंक ऋण, उर्वरक राज सहायता, एफसीआई खरीद, फसल बीमा, आपदा राहत, पीएम किसान सम्मान निधि और आयकर जैसे छह अलग-अलग क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेख को एकीकृत करना, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों, बैंकों, तहसीलों और न्यायालयों के तहत विभिन्न एजेंसियों के साथ एकीकरण। समिति ने पाया कि हालांकि कुछ विशेषताएं जैसे (i) एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएम), विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) और राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) और राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के 'नए घटक' और उनका भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण और भूमि डाटा बेस के साथ आधार नंबर का सहमति के आधार पर एकीकरण को हाल ही में जोड़ा गया है, इस प्रकार निधि की आवश्यकता और बढ़ गई है, समिति महसूस करती है कि

डीआईएलआरएमपी के उद्देश्य के आलोक में, निधि के वर्तमान स्तर को समयबद्ध तरीके से इन्हें प्राप्त करने के लिए रूपरेखा तैयार करके वर्तमान कार्य की मात्रा के अनुरूप पर्याप्त रूप से निधि में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वर्तमान कार्य को 1 अप्रैल, 2026 की निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया जा सके। **(सिफारिश क्रमांक 7)**

<u>डीआईएलआरएमपी की आम आदमी के लाभ हेतु महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत भारी अव्ययित शेष राशि की आलोचना और उनके यथाशीघ्र समाप्त करने की सिफारिश की गई</u>

समिति यह नोट करके चिंता व्यक्त करती है कि डीआईएलआरएमपी की आम आदमी की योजना में 2019-20 में 398.54 करोड़ रुपये, 2020-21 में 492.82 करोड़ रुपये और 2021-22 में 536.57 करोड़ रुपये का अत्यधिक अव्ययित शेष है और इसके लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है जैसे प्रतिपूर्ति आधार पर निधि जारी करने के कारण समान हिस्से का योगदान करने में राज्यों की असमर्थता, कोविड 19 महामारी आदि । 10-01-2022 तक अव्ययित शेष राशि के राज्य-वार आंकड़ों से, समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि 81.19 करोड़ रुपये के अव्ययित शेष राशि के साथ तेलंगाना ऐसे राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश , ओडिशा , हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र हैं जिनका अव्ययित शेष क्रमशः 68.90 करोड़ रुपये, 55.28 करोड़ रुपये, 3354.72 करोड़ रुपये और 30.91 करोड़ रुपये है । समिति डीओएलआर के इस विचार से सहमत नहीं है कि इस मुद्दे को समय-समय पर आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) और वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) में उठाया जा रहा है। इस संबंध में समिति के समक्ष विभिन्न डीआईएलआरएमपी संबंधी चुनौतियां जैसे जटिल, संवेदनशील, समय लेने वाला कार्यान्वयन आदि, 31-03-2016 तक राज्यों के हिस्से को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास संसाधनों की कमी, अत्यधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता, कुछ घटकों के दरों में संशोधन न करना आदि प्रस्तुत की गई । डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति डीओएलआर को इन अव्ययित शेष राशियों को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को जागरूक करने की सिफारिश करती है ताकि आम आदमी के लाभ के लिए परिकल्पित योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। **(सिफारिश क्रम सं. 8)**

<u>विभिन्न घटकों के अंतर्गत डीआईएलआरएमपी कार्य को शीघ्रता से पूरा करने की सिफारिश</u>

समिति को यह नोट करके खेद है कि डीआईएलआरएमपी के 4 घटकों के अंतर्गत 5 वर्षों का समय बीत जाने के पश्चात भी कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। उदाहरण के लिए, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत, अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) का घटक 92.98% पूरा हुआ है और पंजीकरण के कम्प्यूटरीकरण 93.51% पूरा हुआ है जबकि भूमि अभिलेखों के एकीकरण (आईएलआर) और आधुनिक रिकार्ड कक्षों के संबंध में, कार्य केवल 75.36% और 37.36% ही हुआ है और इसका कारण राज्य सरकारों द्वारा रिकार्ड रूम के आधुनिकीकरण हेतु सिविल कार्य में किया गया विलंब हैं । इसके अलावा, कुशल जनशक्ति की आवश्यकता, कुछ घटकों के दरों में संशोधन न किया जाना अन्य कारण हैं। समिति यह सिफारिश

करती है कि डीओएलआर द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मुद्दे का समाधान करते हुए उक्त घटकों के अंतर्गत कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए।

(सिफारिश क्रम सं 9)

<u>डीओएलआर को एक से अधिक मालिकों द्वारा 2 एकड़ तक की भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने और वन भूमि (वन-ग्राम) में गांवों को मामला-दर-मामला आधार पर देश में राजस्व गांवों के रूप में मानने के लिए परामर्श जारी करने के लिए कहा गया</u>

दो प्रमुख मुद्दे, पहला स्वतंत्रता के बाद 2 एकड़ तक की भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध से, विशेष रूप से पंजाब में, एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें भूमि का स्वामित्व लंबे समय तक एक से अधिक मालिकों के पास रहा , जिसके परिणामस्वरूप मालिक अपनी वास्तविक आवश्यकता के लिए भी अपनी भूमि बेचने में असमर्थ हैं। दूसरा, वन भूमि (वन-ग्राम) के गांव वन क्षेत्रों में लागू कड़े कानूनों के कारण अपने आस-पास सड़क, स्कूल, शौचालय, खेल के मैदान आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं और साथ ही वन अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना भी कठिन है।

साक्ष्य के दौरान, सचिव (डीओएलआर) ने समिति को इन मुद्दों की जांच करने और तत्पश्चात् आवश्यक सलाह जारी करके आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि प्रभावित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रव्यापी समाधान तैयार करके इन मुद्दों को यथाशीघ्र हल किया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 10)

*****

नई दिल्ली ;
<u>14 मार्च, 2022</u>
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध एक

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सोमवार, 21 फरवरी, 2022 को आयोजित समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1415 बजे से 1735 बजे तक नए समिति कक्ष '1', संसदीय सौध विस्तार भवन, ब्लॉक - 'ए' (ईपीएचए - 'ए'), नई दिल्ली में बुलाई गई।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी. चिनराज
3. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
6. श्री नरेन्द्र कुमार
7. श्री जनार्दन मिश्र
8. श्री तालारी रंगैय्या
9. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डॉ. आलोक कुमार सुमन

राज्यसभा

13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी. आर शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री ए. के. शाह - निदेशक
3. श्री निशांत मेहरा - उप सचिव

भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधि

1 श्री अजय तिर्की - सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)
2 श्री हुकुम सिंह मीना - अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)
3 श्री लीना जोहरी - अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (भूमि संसाधन विभाग)
4 श्री मित्र सेन - उप-महानिदेशक (भूमि संसाधन विभाग)
5 श्री उमाकांत - संयुक्त सचिव (भूमि संसाधन विभाग)
6 श्रीमती सुधा केशरी - आर्थिक सलाहकार (भूमि संसाधन विभाग)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने भूमि संसाधन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के बाद सभापति ने विभाग का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि यहां जो भी चर्चा की जाएगी उसे गोपनीय रखा जाएगा और उसके संबंध में सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात सभापति ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित आवंटित योजना- वार निधियों के बारे में मोटे तौर पर उल्लेख किया और उनके बारे में समिति को जानकारी देने के लिए सचिव से अनुरोध किया। तत्पश्चात सचिव, भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने अन्य बातों के अलावा आवंटनो अर्थात अब तक विभिन्न वर्षो में निधियों का किया गया उपयोग तथा वर्ष 2022-23 हेतु बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए पावर पॉइंट प्रस्तुति दी।

4. तत्पश्चात, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं हेतु बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका साक्षियों ने उत्तर दिया।

5. तत्पश्चात, सभापति ने भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया और उन्हें सदस्यों द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर यथाशीघ्र सचिवालय को भेजने के लिए कहा जिनके उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

[तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध दो

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की सोमवार, 14 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 तक नई समिति कक्ष संख्या '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
5. डॉ. मोहम्मद जावेद
6. श्री नलीन कुमार कटील
7. श्री नरेन्द्र कुमार
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डा. आलोक कुमार सुमन
13. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

14. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
15. श्री शमशेर सिंह ढुलो
16. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी
17. श्री नारणभाई जे राठवा
18. श्री राम शकल
19. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री ए. के. शाह - निदेशक
4. श्री निशांत मेहरा - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने XXX XXX XXX, भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) तथा XXX XXX XXX से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी तीन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं XXX XXX XXX पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैइक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार कियाः-

(एक) XXX XXX XXX;

(दो) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगे (2022-23);

(तीन) XXX XXX XXX; और

(चार) XXX XXX XXX.

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेधनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है